पूर्ण बेंच

एस. एस. संधावालिया सीजे, एम. आर. शर्मा, . और गोकल चंद मित्तल, न्यायाधीशों के समक्ष

मेसर्स हरि राम पारस राम और अन्य, याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य, *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 1981 का 518।

18 सितंबर, 1981।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का दस) - धारा 3 और 5 - हरियाणा चावल भूसी (वितरण और मूल्य) *नियंत्रण आदेश 1981 - खंड* 3 और 4 - भारत का संविधान *1950 - अनुच्छेद 14 और* 19 - *धारा* 3 के तहत एकल समग्र नियंत्रण आदेश - *बाजार मूल्य से नीचे निर्धारित आवश्यक वस्तु के प्रतिशत का नियंत्रण मूल्य - वस्तु का ऐसा हिस्सा जिसे केवल व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग को बेचने के लिए निर्देशित किया गया है - नियंत्रण आदेश - क्या व्यापार करने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है और इस प्रकार अनुच्छेद* 19 (1) *(जी) का उल्लंघन करता है - ऐसा आंशिक नियंत्रण - क्या* धारा 3 (2) (सी) और (एफ) *और* 3 (3) (सी) - *खंड* (4) का *उल्लंघन करता है।निदेशक खाद्य एवं आपूत को नियंत्रण मूल्य निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करने वाला नियंत्रण आदेश - ऐसे प्रत्यायोजन - चाहे वे अनुच्छेद* 14 *और अधिनियम की धारा* 3 *का उल्लंघन करते हों - खंड (4)* का पहला भाग - क्या राज्य सरकार की विधायी शक्तियों से अधिक है - केवल खंड का ऐसा भाग - क्या निरस्त किया जा सकता है।

(बहुमत के अनुसार एम. आर. शर्मा, जे., एस. एस. संधावालिया, *सी. आई.* (ख) मिलमालिकों द्वारा उत्पादित कुल चावल की भूसी को मूल्य-नियंत्रण के अधीन नहीं किया गया है, न ही इसे राज्य द्वारा उच्च लाभ पर पुनर्विक्रय के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। मिलमालिकों द्वारा उत्पादित चावल की भूसी का केवल 30 प्रतिशत ही पोल्ट्री किसानों और पशुपालकों को उनकी वास्तविक जरूरतों के आधार पर परमिट के खिलाफ आवंटन के लिए निर्धारित किया जा रहा है। यहां तक कि अगर पोल्ट्री फीड और पशु फ़ीड के निर्माताओं को थोक में वस्तु आवंटित की जाती है, तो परिणाम व्यावहारिक रूप से समान होगा क्योंकि अंततः किसानों को सस्ती दरों पर चारा मिलने जा रहा है। यदि अधिसूचित मूल्य आवश्यक वस्तुओं में निहित सिद्धांतों के दायरे में आता है; अधिनियम, 1955, नियंत्रण आदेश पोल्ट्री किसानों और

पशुपालकों की स्थिति में सुधार करता है, इसे व्यापारिक समुदाय के इशारे पर संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के रूप में रद्द नहीं किया जा सकता है जो असीमित लाभ कमाने के अधिकार का दावा करता है। इसलिए, नियंत्रण आदेश संविधान के अनुच्छेद 10 (जे) द्वारा निहित अपने व्यापार को जारी रखने के लिए व्यापारिक समुदाय के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। (पैरा 10)

(बहुमत के अनुसार, एम. आर. शर्मा, जे., एस. एस. संधावलिया, सी.जे., कॉन्ट्रा) कि धारा 3 की उप-धारा (1) केंद्र सरकार को आपूर्ति को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए विशाल शक्तियां प्रदान करती है।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण। इन शक्तियों के प्रयोग के लिए शर्तें यह हैं कि केंद्र सरकार या अधिकृत अधिकारी को एक राय बनानी चाहिए कि इसे लेना आवश्यक या समीचीन है; लागू की गई कार्रवाई और इस तरह गठित राय प्रामाणिक होनी चाहिए /धारा 3 की उप-धारा (2) इस व्यापक और पूर्ण शक्ति के कुछ घटकों की गणना करती है। दूसरे शब्दों में, इस उप-धारा के खंड (ए) से (जे) में निहित मामले प्रकृति में उदाहरणात्मक हैं। इस उपधारा का खंड (ग) केन्द्र सरकार को वह मूल्य निर्धारित करने में सक्षम बनाता है जिस पर कोई आवश्यक वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से बेची जा सकती है। धारा 3 के खंड (ग) और (च) के अधीन शक्तियां केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई हैं। दूसरे शब्दों में। हरियाणा सरकार को उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए एक आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है जिस पर एक आवश्यक वस्तु बेची जानी चाहिए- आदेश से निकलने वाले सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हैं कि 30 प्रतिशत चावल की भूसी को परमिट के तहत पोल्ट्री किसानों और पशुपालकों को आवंटन के लिए आरक्षित किया गया है और उनके द्वारा देय मूल्य तय किया गया है और मिलर्स को उचित उपलब्धि के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य किया गया है। उपरोक्त कार्य। एकमात्र अनियमितता यह है कि विशिष्ट वैधानिक प्रावधान जो किसी विशेष कार्रवाई को करने की शक्ति प्रदान करता है, उसे आदेश में स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया गया है, लेकिन आदेश केवल इसलिए विफल नहीं हो सकता है क्योंकि यह गलत प्रावधान के तहत किया गया है यदि इसे किसी नियम या प्रावधान के तहत शक्ति के भीतर दिखाया जा सकता है। इस प्रकार, यह माना जाना चाहिए कि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत अपने आदेश को लागू किया था। एक बार ऐसा होने पर, राज्य सरकार को मूल्य पर आंशिक नियंत्रण लगाने की अनुमति दी जा सकती है। यदि इसे अन्यथा आयोजित किया जाता है, तो सरकार को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि आवश्यक वस्तु इतनी महंगी और दुर्लभ न हो जाए कि कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण ही एकमात्र अनिवार्यता बन जाए। इसके अलावा, एक कानूनी नियम है जो कम से कम है- जितना अधिक होता है, उतना ही कम होता है। यदि राज्य सरकार के पास पूरी दूरी तय करने का अधिकार है,

तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि वह बीच में रुकने का विकल्प अपनाती है तो उसे आगे जाने का आदेश दिया जाए। इस प्रकार, राज्य सरकार आवश्यक वस्तु के एक हिस्से पर मूल्य नियंत्रण लगा सकती है।

(पैरा 13, 15, 17, 18 और 191)

(पूर्ण पीठ के अनुसार) यह माना गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य के निर्धारण की शक्ति को आगे प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत नहीं किया है और इस प्रकार खंड (4) के पहले भाग को सरकार द्वारा अपने विधायी कार्य से अधिक जारी किया गया है।

(पैरा 43 और 88)

(एस.एस.संधावालिया, सी.जे. कॉन्ट्रा के अनुसार) कि उपरोक्त विधायी इतिहास में प्रत्येक कदम के विधायिका के आग्रह को कालानुक्रमिक क्रम में उजागर किया जाता है ताकि मानदंडों को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जा सके।

जिस पर अधिनियम की धारा 3 (सी) (एफ) के तहत अनिवार्य खरीद के लिए मूल्य निर्धारित किया जाना था। जहां एक ओर विधायिका ने विनियमन और यहां तक कि आवश्यक वस्तुओं के अनिवार्य अधिग्रहण की व्यापक शक्तियां प्रदान कीं, वहीं इसने समान सुरक्षा उपाय प्रदान किए कि ऐसी अनिवार्य खरीद के लिए नागरिक को देय मूल्य इसके बराबर था और इसे कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया था, बल्कि विधायिका के स्पष्ट जनादेश द्वारा निर्धारित किया जाना था। आवश्यक वस्तुओं पर कानून का बड़ा ऐतिहासिक पहलू यह है कि यह एक लाभकारी (इसके विपरीत कुछ विशेष और व्यक्त प्रावधानों को छोड़कर) नियामक उपाय है और किसी भी तरह से इसे जब्त या जब्त करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। जबकि संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं के लिए कॉलिंग नियंत्रण मूल्य निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) से आती है, विधायिका ने अपने विवेक से उप-धारा 3 (3) की विभिन्न उप-धाराओं के तहत अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किए जाने वाले आवश्यक वस्तु के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत की मात्रा के लिए अलग-अलग और सटीक मानदंड निर्धारित किए हैं। उपर्युक्त खण्डों (क) और (ख) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधायिका ने अधिदेश के रूप में यह निर्धारित किया था कि इसके अधीन भुगतान की जाने वाली कीमत पहले से मौजूद नियंत्रण मूल्य, यदि कोई हो, की बुनियाद पर टिकी हुई है। यह कहना कि नियंत्रण क्रम में मनमाने ढंग से नामित मूल्य *वास्तव में* धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य बन जाता है, एक सर्कल को परिपत्र के रूप में परिभाषित करने के प्रयास से अधिक नहीं है। वास्तव में खंड (ए) और (बी) मूल धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि पहले से ही एक नियंत्रण मूल्य मौजूद है जिसके आधार पर अनिवार्य अधिग्रहण के लिए भुगतान निर्धारित किया जाना है। वस्तु के लिए मौजूदा नियंत्रण मूल्य के मामले में इसे खंड (ए) के तहत नियंत्रण मूल्य के अनुरूप पार्टियों के समझौते द्वारा निर्धारित किया जाना है और ऐसे किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफलता के मामले में, मूल्य की गणना प्राधिकरण द्वारा की जानी है, लेकिन फिर भी मौजूदा नियंत्रण मूल्य के बुनियादी मानदंडों पर। इसलिए खंड (क) और (ख) के अधीन मूल्य निर्धारण के लिए एक मौजूदा नियंत्रण मूल्य ही अनिवार्य है। जब प्रावधान किसी कीमत के अनुरूप या संदर्भ में होने की बात करता है, तो यह स्पष्ट रूप से ऐसी चीज के अस्तित्व को पूर्व-मानता है। ऐसे संदर्भ में यह कहना कि धारा 3 (3) के तहत निर्धारित मूल्य अपने आप में नियंत्रण मूल्य बन जाएगा, स्पष्ट रूप से अतार्किक प्रतीत होता है क्योंकि स्थिरता और संदर्भ दो चीजों में प्रासंगिक हैं, न कि एक में। स्थिति और मौजूदा नियंत्रण मूल्य की अनुपस्थिति के लिए प्रावधान स्पष्ट है और इसका जनादेश स्पष्ट है। इसके बाद खंड (ग) लागू होगा और फिर बिक्री की तारीख पर इलाके में प्रचलित

बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से, इसलिए, नियंत्रण आदेश में केवल मूल्य का मनमाना निर्धारण एक आवश्यक वस्तु के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए खंड (ए), (बी) और (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है और इसे अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) (पैरा 68 और 69) के तहत सामान्य नियंत्रण मूल्य के रूप में नहीं उठाया जा सकता है।

(एस. एस. संधावालिया, सी.जे. कॉन्ट्रा के अनुसार) कि धारा 3 (2) (सी) के सादे पठन से यह स्पष्ट होता है कि यह मुख्य रूप से और पूरी तरह से उस मूल्य के निर्धारण के लिए निर्देशित है जिस पर किसी भी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है। इसके प्रावधान सामान्य प्रकृति के हैं। यह स्पष्ट रूप से पूरी वस्तु के लिए एक निश्चित या अधिकतम मूल्य की कल्पना करता है, न कि उसके एक हिस्से या प्रतिशत के लिए- याचिकाकर्ता की ओर से तर्क यह है कि जिस संदर्भ में धारा 3 (2) (सी) निर्धारित की गई है, वह पूरी वस्तु के लिए एक नियंत्रण मूल्य की कल्पना करता है जो समान रूप से तय किया जाता है, जिसमें एक सीमा प्रदान की जाती है जिसके बाद कानूनी रूप से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि आवश्यक वस्तुएं ऐसी चीजें नहीं हैं उदाहरण के लिए खाद्यान्नों के मामले में जिनमें प्रत्येक अनाज या तो पहचान योग्य है या अलग-अलग है। यह निर्धारित करना कि किसी आवश्यक वस्तु का 30 प्रतिशत मूल्य एक स्तर पर रखा जाना चाहिए और शेष 70 प्रतिशत का मूल्य दूसरे स्तर पर रखा जाना चाहिए या इस मामले को पूरी तरह से अनियमित छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसी समस्याएं पैदा करेगा जो समाधान से परे हैं। कोई भी आसानी से कल्पना नहीं कर सकता है कि विधायिका ने एक ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए नेतृत्व किया है जो एक आवश्यक वस्तु के विभिन्न प्रतिशत के लिए अलग-अलग नियंत्रण मूल्य निर्धारित करके स्पष्ट रूप से अतार्किक होगा। वर्तमान नियंत्रण आदेश अपने आप में एक उदाहरण है। उत्तरदाता-राज्य के रुख के आधार पर, ऐसा लगता है कि 30 प्रतिशत आवश्यक वस्तु के लिए एक मूल्य अर्थात् 42 रुपये प्रति क्विंटल और शेष 70 प्रतिशत के लिए पूरी तरह से अलग कीमत 120 रुपये प्रति क्विंटल तक हो सकती है, वास्तव में एक भी कीमत नहीं बल्कि बाकी के लिए कोई कीमत नहीं है। नियंत्रण आदेश का खंड (3) केवल सभी डीलरों और चावल मिलों के मालिकों पर लागू होता है। उक्त खंड में विनिदष्ट चावल मिलों के डीलरों और मालिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के हाथों में चावल भूसी के स्टॉक के मामले में स्पष्ट रूप से कोई नियंत्रण मूल्य या तो आंशिक या कुल उत्पन्न नहीं होगा। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि चावल की भूसी की एक ही वस्तु का डीलरों और मिल मालिकों के मामले में 30 प्रतिशत वस्तु के लिए एक नियंत्रण मूल्य होगा और शेष 70 प्रतिशत के लिए उनके हाथों में एक अन्य मूल्य होगा और बाकी के संबंध में कोई नियंत्रण मूल्य नहीं होगा - यह एक नियंत्रित आवश्यक वस्तु की एक समान कीमत के रूप में कल्पना करने वाली चीज का मजाक उड़ाएगा। सामान। उपरोक् त दृष्टिकोण तब और मजबूत हो जाता है जब खंड 3(2)(ग) और 3(2)(एफ) की तुलना की जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 3 (2) (एफ) के खंड (ए) और (बी) स्पष्ट शब्दों में एक आवश्यक कमोडिफाई के पूरे या एक निर्दिष्ट

हिस्से का उल्लेख करते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां विधायिका धारा 3 (2) (एफ) के तहत किसी भी व्यक्ति से पूरे स्टॉक या उसके एक हिस्से को प्राप्त करने की शक्ति का इरादा रखती है, उसने विशेष रूप से ऐसा कहा है। दूसरी ओर धारा 3 (2) (सी) नियंत्रण मूल्य के बारे में पूरी वस्तु या उसके किसी निर्दिष्ट भाग के लिए बात नहीं करती है। इस अतिरिक्त कारण के लिए भी धारा 3 (2) (सी) को आवश्यक वस्तु के कुछ प्रतिशत या निर्दिष्ट भागों के नियंत्रण मूल्य के प्रावधान के रूप में मानना अनुचित होगा। जैसा कि क़ानून अब लिखा गया है, यह कल्पना करता है

संपूर्ण आवश्यक वस्तु का एक समान नियंत्रण मूल्य जिस पर उसे खरीदा जा सकता है और आंशिक रूप से 1 नियंत्रण 1 मूल्य- उसके लिए। यदि विधायिका इतनी सोच रखती है तो वह कानून के तहत इस तरह की शक्ति को स्पष्ट रूप से अपने पास ले सकती थी, लेकिन उसने इस संदर्भ में और अन्य प्रावधानों के विपरीत ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना है जो स्पष्ट रूप से आवश्यक वस्तु के एक निर्दिष्ट हिस्से में व्यवहार करने का प्रावधान करते हैं। (पैरा 77)।

(एस. एस. संधावालिया, सी.जे. कॉन्ट्रा के अनुसार) कि न तो अधिनियम की धारा 3 और न ही केंद्रीय आदेश का कोई प्रावधान राज्य सरकार को निदेशक को अपनी 5 शक्तियां सौंपने का अधिकार देता है। सामान्य सिद्धांतों पर यह अच्छी तरह से तय है कि एक प्रतिनिधि स्वयं आगे प्रतिनिधि नहीं दे सकता है जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो या जहां इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को कानून की भाषा से ही समझा जा सकता है। यहां इन दोनों चीजों की पूरी तरह से कमी है। इसलिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो खंड 4 द्वारा निदेशक में मूल्य के महत्वपूर्ण मुद्दे को निर्धारित करने की शक्ति निहित करना कानून द्वारा पूरी तरह से अनुचित और अनधिकृत प्रतीत होता है। अनिवार्य रूप से, इसलिए किसी भी समय किसी भी कीमत को तय करने की असीमित शक्ति वाले निदेशक के कपड़े स्पष्ट रूप से अवैध हैं और उन्हें आवश्यक रूप से हटा दिया जाना चाहिए। (पैरा 82)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहत दी जाए: –

(१) *सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें प्रतिवादी संख्या 10 के रिकॉर्ड मांगे जाएं। 1 नियंत्रण और आदेश से संबंधित है*और *उसी के अवलोकन के बाद, अनुबंध*पी/1 के रूप में नियंत्रण आदेश को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर *के रूप में निरस्त किया जाए;*

(२) *कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, जारी किया जाए;*

(३) *वर्तमान रिट याचिका का निर्णय लंबित होने तक आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया जाए।*

(४) *याचिकाकर्ताओं को इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में प्रस्ताव की आवश्यक नोटिस देने से छूट दी जाए क्योंकि यदि रिट याचिका पर विचार प्रस्ताव की सेवा के बाद तक स्थगित कर दिया जाता है तो याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति होगी;*

(५) *याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील हरीश कुमार के साथ वकील आर. एस. मित्तल और एडवोकेट एन. के. खोसला *पेश हुए।*

मेसर्स हरि राम परस राम और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(एम, आर शर्मा, जे।

उत्तरदाताओं की ओर से *नौबत सिंह सीनियर डीएजी हरियाणा, एडवोकेट अशोक भान ने हस्तक्षेप किया।*

निर्णय

M. *आर. शर्मा,* न्यायाधीश

(एक) याचिकाकर्ता करनाल में चावल मिलिंग और चावल बेचने का व्यवसाय करने वाली फर्म और कंपनियां हैं। वे धान खरीदते हैं, इसे अपने शेलरों में खोलते हैं और चावल का उत्पादन करते हैं, जिसका 90 प्रतिशत अनिवार्य रूप से हरियाणा चावल खरीद लेवी आदेश के तहत राज्य सरकार को देना पड़ता है और शेष 10 प्रतिशत चावल खुले बाजार में बेचा जाता है। याचिकाकर्ताओं ने अक्टूबर और नवंबर, 1980 के महीनों में 105 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा, जो सरकार द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य है। धान से चावल के निर्माण की प्रक्रिया में, सबसे पहले चावल की भूसी को हटा दिया जाता है और चावल को चमकाने के अधीन किया जाता है जिसके द्वारा चावल की भूसी का उत्पादन किया जाता है। इस चावल की भूसी का उपयोग तेल के निष्कर्षण और पोल्ट्री फ़ीड के निर्माण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, याचिका दायर करने की तारीख को चावल की भूसी की वर्तमान कीमत 120 रुपये प्रति क्विंटल थी।

(दो) 27 जनवरी, 1981 को, हरियाणा राज्य ने हरियाणा चावल भूसी (वितरण और मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1981 (इसके बाद नियंत्रण आदेश के रूप में संदर्भित) को प्रख्यापित किया। यह नियंत्रण आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 3 के तहत प्रख्यापित किया गया था। नियंत्रण आदेश के खंड 3 के तहत, चावल मिलों के सभी निर्माताओं, डीलरों और मालिकों को जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले परमिट के खिलाफ हरियाणा राज्य के पोल्ट्री किसानों को उनके द्वारा निकाले गए चावल की भूसी का 30 प्रतिशत बेचने या बिक्री की पेशकश करने या आपूर्ति करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति, हरियाणा। नियंत्रण आदेश के खंड 4 के तहत, चावल की भूसी का अधिकतम बिक्री मूल्य फिलहाल 42 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसमें कंटेनरों और करों की लागत शामिल नहीं है। निदेशक को समय-समय पर मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। नियंत्रण आदेश के खंड 5 में प्रत्येक चावल डीलर या चावल मिल के मालिक या शैलर के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह इस नियंत्रण

आदेश के शुरू होने के सात दिनों के भीतर अपने जिले के जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक को उसके पास मौजूद चावल की भूसी की मात्रा के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। नियंत्रण आदेश के खंड 6 में जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, हरियाणा द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी चावल डीलर या चावल मिल के मालिक से ऐसी जानकारी, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जो उसके द्वारा उत्पादित या बेचे गए चावल की भूसी के संबंध में आवश्यक हो सकती है।
ये प्रावधान स्पष्ट रूप से निदेशक को न्यायसंगत वितरण से संबंधित नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को उचित प्रभाव देने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किए गए हैं।

(तीन) याचिका के पैरा नंबर 14 में, इस मूल्य के निर्धारण को इन शर्तों में चुनौती दी गई है: –

(१) अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत चावल की भूसी का कोई नियंत्रण मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है और अधिनियम की धारा 3 (3) के खंड (ए) और (बी) इसलिए आकर्षित नहीं होते हैं।

(२) यह कि नियंत्रण आदेश के खंड 4 में चावल की भूसी का मूल्य निर्धारित करने में अधिनियम की धारा 3(3) अर्थात् खंड (ग) के एकमात्र खंड का भी पालन नहीं किया गया है।

(३) यह कि ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है जो परमिट धारकों को 42 रुपये प्रति क्विंटल पर उपलब्ध कराए जाने वाले चावल की भूसी की कीमत के निर्धारण को उचित ठहरा सके- मूल्य निर्धारण के पूरे मामले को कानून की आवश्यकता की परवाह किए बिना मनमाने तरीके से निपटाया गया है।

(४) चूंकि नियंत्रण आदेश का खंड 4 एक महत्वपूर्ण खंड है, जिसके बिना नियंत्रण आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है और यह खंड अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण कानून में खराब है, इसलिए संपूर्ण प्राधिकरण *अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों* के दायरे से बाहर है।

(५) यह आदेश याचिकाकर्ताओं के व्यवसाय को आगे बढ़ाने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उन्हें दिए गए अधिकार में हस्तक्षेप करता है। याचिकाकर्ताओं को बाजार मूल्य पर चावल

की भूसी बेचने का अधिकार है और इस अवैध आदेश से याचिकाकर्ता बाजार मूल्य पर चावल की भूसी के संबंध में बिक्री करने से वंचित हैं।

(चार) यह याचिका 13 फरवरी, 1981 को एक खंडपीठ के समक्ष, जिसका मैं सदस्य था, के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जब पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"हरियाणा राज्य ने आदेश अनुलग्नक पी. 1 जारी किया जिसके तहत सभी मिलमालिकों को अपने संबंधित मिलों द्वारा उत्पादित चावल की भूसी का 30 प्रतिशत आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया गया था।

लाइसेंस िंग प्राधिकारी द्वारा व्यक्तियों को 42 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्दिष्ट किया जाना है। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (सी) के तहत, इस वस्तु का कोई नियंत्रण मूल्य तय नहीं किया गया है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, संबंधित प्राधिकरण कानूनी रूप से, उपरोक्त आदेश के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने ***मैसर्स कृष्णा राइस मिल्स, पिहोवा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*** **1978 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 31 पर 12 जनवरी, 1978** को निर्णय लिया गया में निर्णय दिया ,*का* हवाला दिया गया है।

आक्षेपित आदेश में 30 प्रतिशत लेवी निर्धारित की गई है और उस मूल्य का भी उल्लेख किया गया है जिस पर यह वस्तु पोल्ट्री किसानों को दी जानी है। *प्रथम दृष्टया,* ऐसा प्रतीत होता है कि जहां किसी क़ानून के तहत कुछ करने की शक्ति है और वही काम किया जाता है, तो कार्रवाई को केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जिस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, चूंकि इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाया है, इसलिए हमारा विचार है कि इस मामले को पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में आदेश प्राप्त करने के लिए आज तक मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात प्रस्तुत किए जाएं और मामले को 16 फरवरी, 1981 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

जाए। इस बीच लागू आदेश के संचालन पर रोक रहेगी।

(पाँच) इस तरह यह मामला इस पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया है।

(छः) उत्तरदाताओं की ओर से, जवाब में हलफनामा श्री वीपी धवन, खाद्य और आपूर्ति के संयुक्त निदेशक, हरियाणा द्वारा शपथ दिलाई गई है। इसमें कहा गया है-

"लागू नियंत्रण आदेश के खंड 4 के तहत कीमत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के प्रावधान के अनुरूप तय की गई है और संबंधित सामग्री पर विचार करने के बाद भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ तय किया गया है, यह पूरी तरह से कानूनी और वैध है। पंजाब में भी पंजाब चावल की भूसी के तहत निर्धारित मूल्य (वितरण और वितरण) मूल्य नियंत्रण) ऑर्डर, 1,978, 30 रुपये प्रति क्विंटल है। उक्त कीमत को उचित माना जाता है। उक्त मूल्य निर्धारित करते समय धान के मूल्य को भी ध्यान में रखा गया है। वर्ष 1977-78 में जब धान का मूल्य 79 रुपये प्रति क्विंटल था, तब सरकार द्वारा निर्धारित राइस ब्रान की दर 35 रुपये प्रति क्विंटल थी। 1978-79 में कोई नियंत्रण आदेश नहीं था, फिर भी लाइसेंसधारियों ने धान की कीमत 87 रुपये प्रति क्विंटल होने पर चावल की भूसी को 37.50 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की। 1979-80 में फिर से डीलर लाइसेंसधारी 42 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल की भूसी बेचने और वास्तव में आपूर्ति करने के लिए सहमत हुए, जबकि धान की कीमत 95 रुपये प्रति क्विंटल थी, 1980-81 के मौसम में, चावल की भूसी का मूल्य सरकार द्वारा विचाराधीन नियंत्रण आदेश के तहत 42 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि धान की कीमत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 105 रुपये प्रति क्विंटल थी। वर्ष 1979-80 से 1980-81 तक धान की दर में वृद्धि की दर में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है जो चावल की भूसी की कीमत में परिलक्षित होती है, जो धान का 3 प्रतिशत है और 30 पैसे प्रति क्विंटल है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि चावल की भूसी की कीमत 42 रुपये तय करते समय, बाद के कुछ महीनों में वृद्धि का अनुमान लगाया गया था और इसे ध्यान में रखा गया था। पंजाब राज्य द्वारा निर्धारित

चावल की भूसी की कीमत को भी ध्यान में रखा जाता है। चावल की भूसी का यह मूल्य भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद निर्धारित किया गया है। लेवी आदेश के अनुरूप फसल कटाई के बाद की अवधि में प्रचलित और प्रबल होने की संभावना वाले चावल की भूसी की कीमत को भी ध्यान में रखा गया था। उपर्युक्त मामलों के विवरण के बाद ही मूल्य निर्धारित किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 3(3) के संदर्भ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तय की गई कीमत आम तौर पर धारा 3 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुरूप है।

(सात) इसके अलावा 120 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजार में 5 यूरो की कीमत से भी इनकार कर दिया गया था। इस संबंध में राज्य ने दो चावल डीलरों द्वारा जारी वाउचर की दो फोटोस्टेट प्रतियों पर भरोसा किया, जो यह दर्शाता है कि एक मामले में चावल की भूसी 67.75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेची गई थी और दूसरे में 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। आगे यह दलील दी गई कि परमिट के माध्यम से चावल की भूसी की बिक्री को कुक्कुट को उचित मूल्य पर चावल की भूसी का समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनियमित किया गया था।
मवेशी निर्माता और यह कि नियंत्रण आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई मुफ्त बिक्री की सीमा इतनी बड़ी थी कि वे नियंत्रण आदेश के तहत जारी परमिट के खिलाफ 30% चावल की भूसी की आपूर्ति के कारण अपने नुकसान, यदि कोई हो, की भरपाई करने के लिए उच्च दरों पर अधिकांश चावल की भूसी बेच सकते थे।

(आठ) याचिकाकर्ताओं ने 3> रिकेशन दाखिल करने के अवसर का लाभ उठाया। संबंधित भाग निम्नानुसार है: –

पीठ ने कहा, "लिखित बयान के पैराग्राफ आठ में कही गई बातों की सत्यता उसमें दी गई विरोधाभासी दलीलों से स्पष्ट है। लिखित वक्तव्य के पैरा 8 में उठाया गया एक तर्क यह है कि अनुलग्नक पी-1 के खंड 4 के तहत निर्धारित मूल्य अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के प्रावधानों के अनुरूप तय किया गया है और दूसरा यह है कि निर्धारित मूल्य आम तौर पर धारा 3 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 3 (3) केवल तभी लागू होती है

जब अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के तहत नियंत्रण आदेश दिया गया हो। इसके अलावा, नियंत्रण आदेश अनुलग्नक पी-1 के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) में प्रदान किए गए मामलों से संबंधित है, अर्थात्, स्टॉक रखने वाले या चावल की भूसी का उत्पादन करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रण आदेश में निहित निर्देश के अनुसार वस्तु के एक निर्दिष्ट हिस्से को बेचने की आवश्यकता होती है, जबकि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके किया गया आदेश केवल प्रावधान कर सकता है। उस मूल्य का नियंत्रण जिस पर किसी वस्तु विशेष को खरीदने या बेचने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खरीदा या बेचा जा सकता है। जहां तक निर्धारित मूल्य के औचित्य का संबंध है, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी कार्रवाई के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है जो स्पष्ट रूप से एक वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, पोल्ट्री उत्पादों के बिक्री मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होने पर पोल्ट्री किसानों को 42 रुपये प्रति क्विंटल की कम दर पर चावल की भूसी उपलब्ध कराने का कोई कारण नहीं है। लिखित वक्तव्य के पैरा 8 में जिन अन्य बातों पर भरोसा किया गया है वे अप्रासंगिक हैं क्योंकि यदि किसी वस्तु विशेष की मांग बढती है तो उसकी कीमत बढ सकती है और चावल की भूसी के मामले में वास्तव में यही हुआ है . कई तेल निष्कर्षण संयंत्र स्थापित किए गए हैं जो चावल की भूसी से तेल निकालते हैं और निर्यात करते हैं उच्च कीमतों पर तेल। इन तेल निष्कर्षण संयंत्रों ने याचिकाकर्ताओं और चावल की भूसी का उत्पादन करने वाले कई अन्य लोगों के साथ अनुबंध किया है ताकि वे इस मौसम में उनके द्वारा उत्पादित पूरे चावल की भूसी की आपूर्ति 120 रुपये प्रति क्विंटल या उससे अधिक की कीमत पर कर सकें।

(9) संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार करने के याचिकाकर्ताओं के अधिकार के बारे में संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए विवाद को अब अभिव्यक्त किया जा सकता है। राज्य सरकार का दावा है कि उसे यह नियंत्रण जारी करने के लिए बाध्य किया गया है! आदेश इसलिए क्योंकि चावल की भूसी मुर्गी पालकों और ग्रामीण पशुपालकों की पहुंच से बाहर हो रही थी। दूसरी ओर, मिल मालिकों का दावा है कि उन्होंने

120 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल की भूसी की आपूर्ति के लिए तेल निकालने वालों के साथ अनुबंध भी किया है। संक्षेप में, एक ओर राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र की सहायता करने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर व्यवसाय अधिकतम लाभ अजत करने के अधिकार की झूठी पुकार उठा रहा है। ***श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड भारत संघ*** **A.IR.. 1974 एस.सी. 366**.*में* यह देखा गया था-

"एक असूचित निर्णय में ***श्री कृष्णा राइस मिल्स बनाम संयुक्त निदेशक (खाद्य) विजवाड़ा*** **सिविल अपील संख्या 1026-1031 आदि 1963, दिनांक 27 जनवरी, 1965 (एस.सी.)**इस न्यायालय ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 पर्याप्त रूप से उन सिद्धांतों को निर्दिष्ट करती है जिनके आधार पर मूल्य तय किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने कुछ निश्चित मात्रा के चावल की बिक्री के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित किया। राइस मिलर्स ने दलील दी कि उचित मूल्य तय करने वाली अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (एफ), (जी) और 31 (3) का उल्लंघन करती है और इसलिए, वे बाजार में प्रचलित दरों के हकदार हैं। अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) पर दलीलों को इस न्यायालय के निर्णयों पर खारिज कर दिया गया था। ***हरि शंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** **(1955) 1 एस.सी.आर. 380 ए.टी.आर. 1954 एस.सी.*और भारत संघ बनाम भानामल गुलजारीमल* (I960)' 2 एस.सी.आर. 627= (ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 475=1960 Cr. L.J: 664):**

* * * * * * * * *

उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता का निर्धारण करने में, यहयह याद रखना होगा कि केवल यह तथ्य कि इनमें लगे हुए कुछ लोग कानून लागू होने के बाद नुकसान का आरोप लगा रहे हैं, कानून को अनुचित नहीं बना देगा।

अपनी प्रकृति से, उद्योग या व्यापार या वाणिज्य आर्थिक और कभी-कभी सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण समृद्धि और प्रतिकूलता की अवधि से गुजरता है। एक व्यापक रूप से मुक्त अर्थव्यवस्था में जब उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों, कपड़े और इसी तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की

उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण लागू किया जाना है, तो यह एक अव्यवहारिक प्रस्ताव है कि सरकार को कीमतें तय करने के लिए एक आयोग की तरह अभ्यास से गुजरना पड़े।

(दस) यहां मिलमालिकों द्वारा उत्पादित कुल चावल की भूसी को मूल्य-नियंत्रण के अधीन नहीं किया गया है, न ही इसे राज्य द्वारा उच्च लाभ पर पुनर्विक्रय के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। मिलमालिकों द्वारा उत्पादित चावल की भूसी का केवल 30 प्रतिशत ही पोल्ट्री किसानों और पशुपालकों को उनकी वास्तविक जरूरतों के आधार पर परमिट के खिलाफ आवंटन के लिए निर्धारित किया जा रहा है। यहां तक कि अगर पोल्ट्री फीड और पशु फ़ीड के निर्माताओं को थोक में वस्तु आवंटित की जाती है, तो परिणाम व्यावहारिक रूप से समान होगा क्योंकि अंततः किसानों को सस्ती दरों पर चारा मिलने जा रहा है। यदि अधिसूचित मूल्य अधिनियम में निहित सिद्धांतों के दायरे में आता है, तो नियंत्रण आदेश पोल्ट्री किसानों और पशुपालकों की स्थिति में सुधार करता है, इसे व्यापार समुदाय के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के रूप में रद्द नहीं किया जा सकता है जो असीमित लाभ कमाने के अधिकार का दावा करता है। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि नियंत्रण आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (जी) में निहित व्यवसाय करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।

(ग्यारह) चुनौती के प्रमुख आधार पर विचार करने के लिए अब डेक को साफ कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री मित्तल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं की है, इस अर्थ में कि कोई मूल्य तय नहीं किया गया है जिस पर वस्तु को पूरी तरह से या उसके हिस्से के रूप में बेचा जा सकता है। नियंत्रण आदेश अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) < के तहत आता है और याचिकाकर्ताओं को देय मूल्य अधिनियम की धारा 3 (3) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाना है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि नियंत्रण आदेश में उल्लिखित मूल्य को नियंत्रण मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है,क्योंकि, यदि ऐसा होता तो सरकार प्रत्येक मामले में आदेश में एक मनमाना मूल्य निर्धारित करती और चुनौती दिए जाने पर यह दलील देती कि अधिसूचित मूल्य वस्तु का नियंत्रण मूल्य है।

(बारह) इन प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, अधिनियम के

प्रासंगिक प्रावधानों को नोट करना अनिवार्य है। वे हैं -

"*धारा* 3, *आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित* करने की शक्तियां- (1) यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उचित कीमतों पर उनके न्यायसंगत वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, या भारत की रक्षा के लिए किसी आवश्यक वस्तु को सुरक्षित करने या सैन्य अभियानों के कुशल संचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह आदेश द्वारा, उनके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और उनमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या निषिद्ध करने का प्रावधान कर सकता है।

(दो) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, इसके तहत किया गया आदेश यह प्रावधान कर सकता है-

* * ** * *

(ग) उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए जिस पर किसी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है;

* * * * * *

(च) किसी आवश्यक वस्तु का स्टॉक रखने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह स्टॉक का पूरा या विनिदष्ट भाग केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के मालिक या एजेंट को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को बेच दे और ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(तीन) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खंड (एफ) के संदर्भ में किए गए आदेश के अनुपालन में कोई आवश्यक वस्तु बेचता है, तो उसे उसके लिए मूल्य का भुगतान किया जाएगा जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है;

(अ) जहां इस धारा के तहत निर्धारित नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, के साथ लगातार सहमत मूल्य पर सहमति व्यक्त की जा सकती है;

(आ) जहां ऐसा कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, नियंत्रण मूल्य के संदर्भ में गणना की गई कीमत, यदि कोई हो;

(इ) जहां न तो खंड (ए) और न ही खंड (बी) लागू होता है, वहां बिक्री की तारीख पर इलाके में प्रचलित बाजार दर पर कीमत की गणना की जाती है।

(तेरह) धारा 3 की उपधारा (1) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। इन शक्तियों के प्रयोग के लिए शर्तें यह हैं कि केंद्र सरकार या अधिकृत अधिकारी जो यह राय बनाता है कि आक्षेपित कार्रवाई करना आवश्यक या समीचीन है और इस प्रकार गठित राय वास्तविक होनी चाहिए /धारा 3 की उप-धारा (2) इस व्यापक और पूर्ण शक्ति के कुछ घटकों की गणना करती है। दूसरे शब्दों में, इस उप-धारा के खंड (ए) से (जे) में निहित मामले प्रकृति में उदाहरणात्मक हैं। **संतोष कुमार जैन बनाम भारत *राज्य* एआईआर 1951 एससी 201** के सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक यही निर्धारित किया था , उसमें यह देखा गया था-

> "यह स्पष्ट है कि धारा 3 की उप-धारा (2) केंद्र सरकार को उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों की तुलना में कोई और या अन्य शक्तियां प्रदान नहीं करती है क्योंकि यह 'इसके तहत बनाया गया एक आदेश' है जो उप-धारा (2) में विशेष रूप से उल्लिखित मामलों में से एक या दूसरे के लिए प्रावधान कर सकता है जो केवल उदाहरण हैं क्योंकि इस तरह की गणना 'उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना है।

(चौदह) इस उपधारा का खंड (ग) केन्द्र सरकार को वह मूल्य निर्धारित करने में सक्षम बनाता है जिस पर कोई आवश्यक वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से बेची जा सकती है। इस उपधारा का खंड (च) केन्द्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के भंडारधारक को निदेश देने में सक्षम बनाता है कि वह उन्हें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को अथवा उनके द्वारा नियुक्त एजेंट को अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को बेच दे। धारा 3 की उप-धारा (3) स्टॉक-धारक को देय मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

(पंद्रह) अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार को के तहत आदेश देने

या अधिसूचना जारी करने की अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने का अधिकार देती है।

धारा 3 ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन, जो विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी, राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी के अधीन। यह विवादित नहीं है कि धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (सी) और (एफ) के तहत शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई हैं। दूसरे शब्दों में, हरियाणा राज्य सरकार को उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए एक आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है जिस पर एक आवश्यक वस्तु बेची जा सकती है और साथ ही स्टॉक धारक को आवश्यक वस्तुओं को उसे या उसके एजेंट या कुछ अन्य व्यक्तियों को बेचने की आवश्यकता होती है।

(सोलह) निर्धारित किया जाने वाला पहला बिंदु यह है कि क्या राज्य सरकार ने वास्तव में अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत कोई आदेश पारित किया है या नहीं, क्योंकि यह सभी हाथों पर स्वीकार किया गया है कि यदि आदेश इस प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो याचिकाकर्ताओं के पास सामने रखने के लिए कोई मामला नहीं होगा।

आक्षेपित आदेश, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-1 है, की निम्नलिखित प्रस्तावना है:-

> जबकि राज्य सरकार की राय है कि चावल की भूसी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है; अत, अत, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं 2008-02 के साथ पढ़ा जाता है। 9 जून, 1978 के जीएसबी-800 और *इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियां और* केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से, हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं-

(सत्रह) जाहिर है, यह आदेश कुछ हद तक अप्रसन्नता पूर्ण शब्दों वाला है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किया गया है और इसमें अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में विभाजित विभिन्न शक्तियों का

विशिष्ट उल्लेख नहीं है। फिर भी, इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि आक्षेपित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निहित सभी शक्तियां, अर्थात् आदेश जारी करने के लिए, सेवा में लगा दी गई हैं। सबसे ज्यादा

आदेश से निकलने वाले महत्वपूर्ण परिणाम यह हैं कि 30 प्रतिशत चावल की भूसी को परमिट के तहत पोल्ट्री किसानों और पशुपालकों को आवंटन के लिए आरक्षित किया गया है, उनके द्वारा देय मूल्य 42 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है और मिलर्स को उपरोक्त कार्य की उचित उपलब्धि के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संविधि के तहत शक्ति के एक विशिष्ट स्रोत से संबंधित हो सकती है। एकमात्र अनियमितता, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह है कि विशिष्ट वैधानिक प्रावधान जो किसी विशेष कार्रवाई को करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, को आदेश में स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया गया है। ***पी. बालाकोटैया* बनाम *भारत संघ और अन्य* ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 232 ,** यह देखा गया था-

> "यह तर्क दिया जाता है कि जब कोई प्राधिकरण एक आदेश पारित करता है जो उसकी क्षमता के भीतर है, तो यह केवल इसलिए विफल नहीं हो सकता है क्योंकि यह गलत प्रावधान के तहत किया गया है, अगर इसे किसी अन्य नियम के तहत अपनी शक्तियों के भीतर दिखाया जा सकता है, और यह कि किसी आदेश की वैधता को उसके सार पर विचार करने के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि उसके रूप पर। इस प्रस्ताव के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है ...।

(अठ्ठारह) कानून की इस आधिकारिक घोषणा को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए यह कहना खुला नहीं है कि राज्य सरकार ने लागू नियंत्रण आदेश जारी करते समय अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। इसके बावजूद, हरियाणा के खाद्य और आपूर्ति के संयुक्त निदेशक श्री वीपी धवन द्वारा शपथ पत्र के पैरा 8 में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि लागू नियंत्रण आदेश के खंड 4 के तहत मूल्य अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के प्रावधानों के अनुरूप तय किया गया है, और मुझे इस हलफनामे पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं दिखता है। अत, मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने लागू नियंत्रण आदेश जारी करते समय अधिनियम की धारा 3(2)(ग) के उपबंधों का प्रयोग किया था।

(सात) श्री मित्तल ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत पूरी आवश्यक वस्तु की कीमत केवल उसके एक हिस्से के साथ तय की जा सकती है। उनके अनुसार, कीमत पर आंशिक नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं है।

मुझे इस निवेदन में कोई दम नजर नहीं आता। यदि आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता, जो समय बीतने के साथ बढ़ती है, को रोकना है, तो बुराई को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कम कठोर कार्रवाई करके आपूर्ति की स्थिति में सुधार किया जा सकता है, तो समस्या को हाथ से जाने देने के बजाय राज्य सरकार को यह कार्रवाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि श्री मित्तल द्वारा सुझाई गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिनियम के तहत अधिकारियों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि आवश्यक वस्तुएं इतनी महंगी और दुर्लभ न हो जाएं कि कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण ही एकमात्र अनिवार्यता बन जाए। इसके अलावा, एक कानूनी नियम *है जो कम से कम है- जितना अधिक होता है,* उतना ही कम होता है। इस मैक्सिम को एटीएम ए राम वी में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है। **आत्मा राम बनाम *पंजाब राज्य और अन्य* ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 519.**

यदि राज्य सरकार के पास पूरी दूरी तय करने की इच्छा शक्ति और अधिकार है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि यदि वह बीच में रुकने का विकल्प अपनाती है तो उसे और आगे जाने का आदेश दिया जाए। शायद यह महसूस नहीं किया जा रहा है कि यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो व्यापार समुदाय के लिए बहुत अधिक कठोर परिणाम आ सकते हैं। यदि इस आधार पर लागू नियंत्रण आदेश को निरस्त कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार को मिलमालिकों द्वारा उत्पादित संपूर्ण चावल भूसी पर मूल्य नियंत्रण लगाने के लिए राजी किया जा सकता है। उस स्थिति में, कोई भी उसे कम नियंत्रण मूल्य या पंजाब के सीमावर्ती राज्य में निर्धारित मूल्य के बराबर मूल्य निर्धारित करने से नहीं रोक सकता है। यदि यह कदम उठाया जाता है, तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं के लिए अधिक नुकसानदायक होगा क्योंकि उस स्थिति में वे पूरे चावल की भूसी को 30 रुपये प्रति क्विंटल या उससे अधिक की दर से बेचने के लिए बाध्य होंगे, जिस दर पर इसे पंजाब राज्य में बेचा जा रहा है। अब उन्हें इसका 30 प्रतिशत 42 रुपये प्रति क्विंटल और कंटेनरों की लागत पर बेचने की अनुमति है और बाकी को जो भी कीमतें वे मुक्त बाजार में प्राप्त कर सकते हैं, बेच सकते हैं।

(बीस) मैं अब कुछ मामलों को देख सकता हूं जिन पर याचिकाकर्ताओं की ओर से भरोसा किया गया है।

(इक्कीस) सबसे पहले श्री मित्तल द्वारा श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड मामले

(*सुप्रा*) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था: –

> "70. याचिकाकर्ता के तर्क का मुख्य मुद्दा कि उचित मूल्य का अर्थ कच्चे माल की लागत, विनिर्माण लागत और व्यवसाय में नियोजित पूंजी पर उचित रिटर्न के संबंध में निर्धारण है, इस निर्माण पर आधारित था कि उप-धारा (3), (3 ए), (3 बी) औरआवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की धारा 3 (सी) एक एकल योजना का गठन करती है और उपधारा (3) में निहित क्या उप-धारा (3 सी) में स्पष्ट किया गया है।
>
> 74. एक ओर उप-धारा (3) और (3ए) और दूसरी ओर उप-धारा (3बी) और (3सी) के बीच अंतर ये हैं। उप-धारा (3) और (3ए) में अधिसूचना की तारीख से आगे बढ़ने के तीन महीने के दौरान बाजार में प्रचलित बाजार दर दोनों के अनुरूप या उसके संदर्भ में या नियंत्रित मूल्य के अनुरूप या उसके संदर्भ में समझौते द्वारा मूल्य निर्धारित करने की बात कही गई है। उप-धारा (3बी) या तो नियंत्रित मूल्य की बात करती है या जहां ऐसी कोई कीमत तय नहीं की जाती है, उस क्षेत्र में फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान प्रचलित या प्रचलित मूल्य की बात की जाती है, जिस पर आदेश लागू होता है। उपधारा (3सी) में जो चीनी मूल्य से संबंधित है, की गणना गन्ने के न्यूनतम मूल्य, चीनी की विनिर्माण लागत, शुल्क या कर, और विभिन्न क्षेत्रों या कारखानों या विभिन्न प्रकार की चीनी के लिए उचित रिटर्न और अलग-अलग मूल्य प्रदान की जा सकती है।
>
> 75. इसलिए धारा 3 (1) के तहत निर्धारित नियंत्रित मूल्य को धारा 3 (2) एफसी के साथ पढ़ा जाता है, जो उपधारा (3 ए), (3 बी) और (3 सी) के तहत मूल्य से अलग है।

इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि नियंत्रित मूल्य और आदेश में तय की गई कीमत आवश्यक रूप से अलग-अलग होनी चाहिए। मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इस मामले में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल अधिनियम की योजना पर विचार कर रहा था और एक ऐसे मामले से संबंधित

नहीं था जिसमें अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के साथ धारा 3 (1) के तहत निर्धारित वस्तु का नियंत्रित मूल्य और अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3 बी) के तहत लेवी मूल्य एक ही समग्र अधिसूचना में तय किया गया था।

(22) श्री मित्तल द्वारा जिस अगले मामले पर भरोसा किया गया है, वह इस न्यायालय का एक डिवीजन बी निर्णय है *जिसे* ***मेसर्स भगवान सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य*** **और** ***अन्य*** **1975 पी.एल.आर** *के रूप में रिपोर्ट किया गया* है। इसमें गेहूं (लेवी) खरीद आदेश के निर्धारण को इस आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी कि इसका निर्धारण अधिनियम की उप-धारा (3बी) के अनुसार नहीं किया गया था, लेकिन उस मामले में खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अधिनियम की उप-धारा 3 (2) (सी) के तहत गेहूं का कोई नियंत्रित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था। डिवीजन बेंच द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणी निम्नानुसार है -

> पीठ ने कहा, 'उपरोक्त चर्चा से यह सामने आएगा कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत गेहूं का कोई नियंत्रित मूल्य तय नहीं किया गया है और लेवी आदेश के खंड 4 के तहत मूल्य का निर्धारण धारा 3 की उप-धारा (3-बी) (आई) के दायरे में नहीं आता है, जिसके तहत मूल्य तय किया गया है. इसी तरह, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कीमत फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान मूल्य निर्धारण के आधार पर तय की गई थी या इसके घटने की संभावना है, इसलिए यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि लेवी आदेश की धारा 4 के तहत मूल्य तय करते समय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3-बी) के खंड (ii) का भी अनुपालन नहीं किया गया था।

(23) के. बी. जिन्ना हेगड़े और अन्य ***बनाम मैसूर राज्य*** **का अनुपात** ***मुख्य सचिव, विधान सौध, बंगलौर और अन्य*** **ए.आई.आर. 1971 मैसूर 12** द्वारा मैसूर राज्य को इसी आधार पर अलग किया जा सकता है जैसा कि निम्नलिखित परिच्छेद से स्पष्ट है:

> "जहां तक पहले नियंत्रण मूल्य का संबंध है, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सरकार ने अधिनियम के तहत या मैसूर राज्य में लागू किसी अन्य कानून के तहत कोई नियंत्रित मूल्य तय नहीं किया था। राज्य के वकील श्री पुट्टास्वामी ने प्रस्तुत किया कि आदेश की अनुसूची 2 में निर्धारित मूल्य ही नियंत्रित मूल्य

था।

(24) मेसर्स सीताराम, ज्वाला प्रसाद और अन्य *बनाम* उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए.आई.आर. 1975All. 272 *मामले* में *इलाहाबाद* उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मोटे खाद्यान्न (लेवी) आदेश (1974) में निर्धारित खाद्यान्नों के मूल्य की वैधता पर विचार किया। चुनौती को मुख्य रूप से इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि आदेश की अनुसूची में उल्लिखित मूल्य को इसकी नियंत्रित कीमत के रूप में नहीं माना जा सकता है। विद्वान न्यायाधीशों को इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था क्योंकि उप-धारा 3-ख के खंड (1) द्वारा विचार किया गया नियंत्रित मूल्य खाद्यान्न के ग्रेड या उसकी किस्म के संदर्भ में होना था। बार में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि 1चावल की भूसी में अलग-अलग # ग्रेड या किस्में थीं। उस आदेश की प्रस्तावना में निहित वाक्यांशविज्ञान के आधार पर डिवीजन बेंच के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया गया था जो यह संकेत दे सकता था कि राज्य सरकार ने धारा 3 सी 2) (सी) के तहत भी शक्तियों का प्रयोग किया था। रिपोर्ट में आदेश की प्रस्तावना को उद्धृत नहीं किया गया है और यह उल्लेख करना छोड़ दिया गया है कि आदेश जारी करते समय सरकार ने लागू आदेश जारी करने के लिए उन शक्तियों का उपयोग किया था जो उसमें निहित थीं। अंत में, यह तथ्य के प्रश्न के रूप में पाया गया कि अनुसूची में उल्लिखित मूल्य अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 3 बी में निहित सिद्धांतों के अनुसार तय नहीं किया गया था।

(पच्चीस) वहाँ कुछ बहुत सारे हैं; मैं भेद करता हूं; विशेषताएं; होफ?. ग, तथापि, संविधि के कुछ उपबंधों पर ध्यान देने के बाद पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं, जिनसे मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूं -

> "यदि महाधिवक्ता का यह तर्क कि सरकार अपने विवेक से उन खाद्यान्नों के संबंध में भुगतान करने का विकल्प चुनती है, जिन्हें उसे बेचा जाना आवश्यक है, उप-धारा (3-बी) के खंड (i) के अर्थ के भीतर स्वचालित रूप से नियंत्रित मूल्य बन जाएगा, तो इसका खंड (ii) निरर्थक हो जाएगा। किसी भी मामले में खंड (ii) तब लागू नहीं होगा, क्योंकि जिस क्षण सरकार को किसी विशेष मूल्य पर बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के एक विशेष प्रतिशत की आवश्यकता होती है, खंड (i) स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा। वास्तव में, यदि उपधारा (3-

ख) को अधिनियमित करने में विधायिका का यही इरादा होता, तो इस वाक्यांश का प्रयोग करना सरल होता कि खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों के लिए ऐसी कीमत अदा की जाएगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। खाद्य तिलहन या खाद्य तेल; और फिर खंड (i) और (ii) और उप-धारा (3-B) का स्पष्टीकरण होना चाहिए। उप-धारा (3-ए) के खंड (iii) के उप-खंड (ए), (बी) और (सी) के स्थान पर उप-धारा (3-ए) में भी इसी तरह के वाक्यांश विज्ञान का उपयोग किया जा सकता था। उप-धारा (3-सी) जो चीनी से संबंधित है और उप-धारा (3-बी) जो खाद्यान्न से संबंधित है, की भाषा में अंतर यह भी स्पष्ट करता है कि एक के मामले में मूल्य की गणना करने का मानदंड दूसरे से पूरी तरह से अलग है।

(छब्बीस) इस आदेश में तुम अपने कर्तव्यों के सत्य>आयात को समझ सकते हो। अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3-ए) पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें लिखा है:

> (3-ए) (i): यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी भी इलाके में किसी भी खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने या जमाखोरी को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, उप-धारा (2) के खंड (एफ) के संदर्भ में किए गए आदेश के अनुपालन में उस इलाके में खाद्य पदार्थों को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। इस उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा
>
> **(२)** इस उप-धारा के तहत जारी कोई भी अधिसूचना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
>
> **(३)** यदि, इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, कोई व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थों को और इस प्रकार विनिर्दिष्ट स्थानीयता में बेचता है, उपधारा (2) के खंड (च) के संदर्भ में किए गए आदेश के अनुपालन में, विक्रेता को उसके लिए मूल्य के रूप में भुगतान किया जाएगा-
>
> **(अ)** जहां इस धारा के तहत निर्धारित खाद्य पदार्थों के नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, के साथ लगातार सहमत मूल्य पर सहमति व्यक्त की जा सकती है;
>
> **(आ)** जहां ऐसा कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में गणना की गई कीमत, यदि कोई हो;
>
> **(इ)** जहां न तो खंड (ए) और न ही खंड (बी) अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले तीन महीने की अवधि के दौरान इलाके में प्रचलित औसत बाजार दर के संदर्भ में गणना की गई कीमत को लागू करता है।
>
> **(४)** खंड (iii) के उपखंड (ग) के प्रयोजनों के लिए। इलाके में प्रचलित औसत बाजार दर का निर्धारण मौजूदा स्थिति के संदर्भ में इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एक अधिकारी द्वारा किया

मैसर्स हरि हम पारस राम और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य,
(एम. आर. शर्मा, जे.

जाएगा।

बाजार दरें जिनके लिए प्रकाशित आंकड़े उस इलाके या पड़ोसी इलाके के संबंध में उपलब्ध हैं; और इस तरह से निर्धारित औसत बाजार दर अंतिम होगी और किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(सत्ताईस) यह उप-धारा 11 का प्रकृति 11 है और किसी विशेष इलाके में उत्पन्न होने वाली स्थिति को पूरा करने के लिए इसका सहारा लिया जा सकता है। जैसा कि इस उप-धारा के खंड (ii) में प्रावधान किया गया है, इसके तहत की गई कार्रवाई एक अल्पकालिक उपाय की प्रकृति में है क्योंकि संबंधित अधिसूचना केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी की जा सकती है। एक आवश्यक वस्तु एक इलाके में दुर्लभ हो सकती है चाहे वह मूल्य नियंत्रण के अधीन हो या नहीं। किसी दिए गए मामले में, राज्य सरकार ऐसी वस्तु को उसके मूल्य को नियंत्रित किए बिना अधिक आसानी से उपलब्ध करा सकती है- उस स्थिति में, यदि कोई मालिक धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (एफ) के तहत पारित आदेश के अनुसरण में, अपने स्टॉक का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा छोड़ने का निर्देश देता है, तो उसे उपधारा (3) के खंड (सी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना की गई कीमत का भुगतान करना होगा। धारा 3. यदि आवश्यक वस्तु पहले से ही मूल्य नियंत्रण के अधीन है या इसे एक साथ लगाया जाता है जब किसी स्टॉक-धारक को अपने स्टॉक के साथ भाग लेने का आदेश दिया जाता है, तो वह एक मूल्य प्राप्त करने का हकदार होगा जिसे नियंत्रित मूल्य के अनुरूप सहमत किया जा सकता है या यदि ऐसा कोई समझौता संभव नहीं है तो नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में गणना की जाती है। जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 3 सरकार को नियंत्रण लागू करने की विशाल शक्तियों के साथ निवेश करती है। एक क्षण में किसी वस्तु की कीमत को नियंत्रित किया जा सकता है, और दूसरे समय मूल्य को नियंत्रण के अधीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके वितरण को सुव्यवस्थित करना पड़ सकता है। लेकिन सांविधिक प्रावधान करते समय विधायिका ने सोचा कि अधिनियमित सांविधिक उपबंध में जहां तक संभव हो उन सभी स्थितियों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें सरकार अनुभव के आधार पर कार्रवाई करने की हकदार हो जाती है। विचारणीय महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या किसी दिए गए मामले में सरकार ने अपना विवेक प्रयोग किया है और धारा 3(2)(ग) के तहत कार्रवाई की है या नहीं। एक बार जब यह दिखाया जाता है कि इस प्रावधान के तहत

काम किया गया है, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है यदि मूल्य, जो स्टॉक-धारक को देय है, अधिसूचित आदेश में ही उल्लिखित है। इसलिए, उपधारा (3-क) के खंड (iii) के उपखंड (क), (ख) और (ग) को निरर्थक नहीं माना जा सकता। यदि सरकार लाभ कमाने के उद्देश्य से स्टॉक धारकों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित करना चाहती है, तो वह निश्चित रूप से इस बात पर आपत्ति उठा सकता है कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई अधिनियम के दायरे में नहीं आती है।

संविधि। *श्री मीनाक्षी मिल्स मामले* (सुप्रा I) में, अदालत ने कहा-

> "*राजस्थान राज्य बनाम नथमल* **(1954) एस.सी.आर. 982= ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 307.** में को अधिकारियों को खाद्यान्न के किसी भी स्टॉक को फ्रीज करने की अनुमति दी गई थी और कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण की अनुमति के बिना स्टॉक से किसी भी खाद्यान्न का निपटान नहीं कर सकता था। इस आदेश को अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित माना गया था, अर्थात्, उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना। वस्तु का अधिकतम मूल्य 17-18 रुपये था। सरकारी खरीद मूल्य 9 रुपये प्रति मौंड था। अदालत ने माना कि यह अनुचित प्रतिबंध था क्योंकि सरकार उच्च मूल्य पर बेचने और लाभ कमाने के लिए स्वतंत्र थी। अधिकतम मूल्य उस निर्धारित मूल्य से अधिक था जिस पर स्टॉक की मांग की गई थी लेकिन मांग के बाद, सरकार उच्च मूल्य पर बेचेगी। इसलिए, यह एक अनुचित प्रतिबंध था।

(अठ्ठाईस) इसी तरह के कारणों से, उप-धारा (3-बी) को निरर्थक नहीं ठहराया जा सकता है। उप-धारा (3-सी) चीनी से संबंधित है और इसकी विस्तार से जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

(29) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नौवीं अनुसूची की सुरक्षात्मक छतरी केवल अधिनियम के लिए उपलब्ध है, न कि इसके तहत जारी किए गए आदेशों के लिए। आखिरकार मैसर्स मैसर्स में इस विवाद पर विराम लग गया है। ***पार्ग आइस एंड ऑयल मिल्स और अन्य आदि, बनाम भारत संघ* ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1298.**

(30) **श्री मित्तल द्वारा भरोसा किया गया अंतिम मामला *जो परेरा***

और अन्य बनाम है। 'भारत संघ और एक अन्य ए.आई.आर. 1979 कर्नाटक 12. है।

इसमें, कर्नाटक धान खरीद (लेवी) आदेश (1966) के तहत मूल्य के निर्धारण को इस आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी कि इसे अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3-बी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि 'एक बार निर्धारित नियंत्रित मूल्य सभी बिक्री और खरीद पर लागू होना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी विशेष प्रकार के लेन-देन की कीमत को अत्यधिक सम्मान के साथ नियंत्रित करना नहीं होना चाहिए। इन टिप्पणियों से सहमत हैं, क्योंकि, यदि ऐसा है, तो राज्य! सरकार आवश्यक वस्तुओं पर आंशिक नियंत्रण लगाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगी। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा निकाला गया दूसरा निष्कर्ष कि यदि वास्तव में नियंत्रित मूल्य है, तो मूल्य को अधिनियम की उप-धारा (3-बी) के तहत तय करना होगा। यह हो सकता है कि कर्नाटक आदेश को लागू करते समय राज्य ने अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत शक्तियों का उपयोग करने का इरादा नहीं किया हो। इस मामले में भी कर्नाटक आदेश की प्रस्तावना में निहित वाक्यांशों के आधार पर खंडपीठ के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया गया है।

(31) राज्य की ओर से, श्री नौबत सिंह ने ***श्री वेंकटेश्वर राइस मिल और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य*** **ए.आई.आर. 1975 आंध्र प्रदेश 84**.पर भरोसा किया, जिसमें केबी में मैसूर मामले में लिया गया दृष्टिकोण था। जिनराजा हेकडे (सुप्रा) के कथन से इन शब्दों में असहमति व्यक्त की गई थी-

पीठ ने कहा, "हम उपरोक्त दो मामलों में मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत नहीं हैं। धारा 3 (2) (सी) में 'नियंत्रण' शब्द अपने दायरे में प्रतिबंध, विनियम, प्रतिबंध, प्रतिबंध लेता है। किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए उस पर एक निर्देशन या शासी प्रभाव का प्रयोग करने का अधिकार है। (ब्लॉक लॉ डिक्शनरी पृष्ठ 399)। सरकार द्वारा मिलर्स या डीलरों से खरीद का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चावल उपलब्ध कराना है। एक डीलर या मिलर को केवल अधिसूचित मूल्य पर चावल की प्रत्येक किस्म की कुल मात्रा का एक हिस्सा बेचने के लिए बुलाया जाता है। याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि सरकार ने अधिसूचित मूल्य तय करते समय उस दर को ध्यान में नहीं रखा है जिस पर डीलर या मिलर ने धान खरीदा था, रूपांतरण शुल्क, परिवहन शुल्क और अन्य आकस्मिक व्यय और

सीमांत लाभ भी। अत, संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ही अधिसूचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।कहते हैं, यह देखने के लिए कि किसी भी डीलर या मिलर को उसके द्वारा नुकसान नहीं होता है
Howm चावल की कुल मात्रा का एक हिस्सा बेचना पड़ता है ओल्ने लिब जिसे वह उत्पादित या निर्मित करता है। "io 'nnq' मूल्य के निर्धारण पर हमारे सामने सवाल नहीं उठाया गया है। ओडियम रेड्डी के श्री बाबुलू का तर्क है कि अधिसूचित मूल्य नियंत्रित मूल्य नहीं है और धारा 3 (2) का उप-खंड (सी) केवल सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, न कि
कीमतों को सूचित करें। हम इस विवाद में कोई ताकत नहीं देख सकते। जैसा कि हमारे द्वारा पहले ही देखा जा चुका है, 'नियंत्रण' शब्द किसी विशेष मूल्य को अधिसूचित करके कीमतों के विनियमन में भी शामिल है। खंड (3) के उपखंड (1) की सीमा तक लेवी चावल की बिक्री जिस मूल्य पर की जानी चाहिए उसे नियंत्रित किया जाता है। यह एक मिलर या डीलर के लिए अधिसूचित मूल्य से ऊपर की दर पर बेचने के लिए खुला नहीं है। दूसरे शब्दों में, जिस कीमत पर एक मिलर या डीलर को बेचना है, उसे नियंत्रित किया जाता है। अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' बहुत व्यापक आयाम का है। धारा 3(2) का खंड (च), जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सरकार को यह अधिकार देता है कि वह स्टॉक रखने वाले किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा करे कि वह स्टॉक का पूरा या विनिदष्ट भाग केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को बेच दे। अधिप्राप्ति आदेश उपखंड (च) के अंतर्गत सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है। हमें खरीद आदेश पर हमले में कोई दम नजर नहीं आता।

(बत्तीस) मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि इस मामले में वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित किया गया था।

(तैंतीस) जाहिर है, याचिकाकर्ता तय किए गए मामलों में की गई टिप्पणियों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

(चौंतीस) नौबत सिंह ने स्वीकार किया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को नियंत्रित मूल्य निर्धारित करने की शक्तियां देने के लिए या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को सौंपने के लिए अधिकृत नहीं किया है। ऐसा

होने पर, निदेशक को समय-समय पर कीमतें निर्धारित करने के लिए अधिकृत करने वाले आदेश के खंड 4 को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तथापि, यह निष्कर्ष विवाद के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि कुछ समय के लिए लेवी मूल्य वास्तव में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

(पैंतीस) उपर्युक्त कारणों के लिए, मैं मानता हूं कि लागू नियंत्रण आदेश को प्रख्यापित करते समय राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किया था और 42 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल की भूसी का लेवी मूल्य और कंटेनरों की लागत निर्धारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में था। याचिका खारिज किए जाने के लायक है और मैं तदनुसार आदेश देता हूं। हालांकि, इसमें शामिल कानून के सवालों की कठिन प्रकृति को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत ो को वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है। ' [1]

गोकल चंद मित्तल, जे।

(छतीस) विद्वान मुख्य न्यायाधीश और विद्वान भाई एमआर शर्मा, जे के निर्णयों का अध्ययन करने पर, विद्वान मुख्य न्यायाधीश के प्रति उचित सम्मान के साथ, मैं शर्मा, जे द्वारा दिए गए अंतिम निष्कर्ष से सहमत हूं कि रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे मेरे स्वयं के कारणों से खारिज कर दिया जाना चाहिए जिसे मैं अलग से रिकॉर्ड करना चाहता हूं।

(सैंतीस) जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सही कहा गया है, पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए उठने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य में पूरी आवश्यक वस्तु के लिए एक समान मूल्य की परिकल्पना की गई है? इसे लाया या बेचा जा सकता है या उसके एक निर्दिष्ट प्रतिशत के लिए हो सकता है। मेरा सुविचारित विचार है कि यह एक विनिदष्ट प्रतिशत के लिए भी हो सकता है।

(अड़तीस) अधिनियम की धारा 3 के सभी खंडों की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, इस तरह यह विवाद से परे है। अधिनियम की धारा 3(1) केन्द्र सरकार को विधायी शक्ति प्रदान करती है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5 के तहत दिनांक 9 जून, 1978 के आदेश जीएसआर 800 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है, जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अपने निर्णय के पैरा 20-क में पुन: प्रस्तुत किया है। इस आदेश द्वारा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (एच), (आई), (ii) और (जे) में निर्दिष्ट सभी मामलों के लिए आदेश देने का अधिकार दिया है। हमारे विचारार्थ आने वाले दो संगत खंड खंड (ग) उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए खंड (ग) हैं जिस पर खाद्य सामग्री खरीदी या बेची जा सकती है और खंड (च) ऐसे खाद्य पदार्थों को रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा है कि वह पूरे या उसके विनिदष्ट भाग को ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को बेच दे जैसा कि 1 आदेश में विनिदष्ट किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने हरियाणा चावल भूसी (वितरण और मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1981 (इसके बाद नियंत्रण आदेश कहा जाता है), अनुलग्नक पी -1 जारी किया। इसलिए, प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य सरकार

ने आक्षेपक पी-1 के आदेश द्वारा चावल की भूसी के 30% का नियंत्रण मूल्य निर्धारित करते समय किसी भी तरह से अपने विधायी कार्यों को पार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे चावल के लिए नियंत्रण मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति में एक भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति शामिल है और केवल इस सिद्धांत के आधार पर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार चावल की भूसी के उस हिस्से की कीमत को नियंत्रित कर सकती है जो एक खाद्य पदार्थ है। वस्तु के हिस्से की कीमत का निर्धारण, यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर या तर्कसंगतता के आधार पर चुनौती दी गई थी, तो मामले में जाया जा सकता था, बीयू [+], इसमें कोई चुनौती नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह माना गया था कि नियंत्रण मूल्य केवल पूरी वस्तु के लिए तय किया जा सकता है, न कि उसके एक हिस्से के लिए। इसलिए, जब तक वस्तु के हिस्से के नियंत्रण मूल्य के निर्धारण को कुछ अनुमेय आधार पर चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, सिवाय इस निष्कर्ष को दर्ज किए कि पूरे के लिए कानून बनाने की शक्ति में इसके हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है।

(3-ए) उपर्युक्त कारणों के लिए मैं मानता हूं कि इस मामले में आदेश अनुबंध पी-1 द्वारा निर्धारित नियंत्रण मूल्य 30% चावल भूसी के लिए नियंत्रण मूल्य होगा जिसके संबंध में नियंत्रण आदेश जारी किया गया है क्योंकि राज्य सरकार के पास अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत मूल्य निर्धारित करने वाले नियंत्रण आदेश जारी करके कानून बनाने की शक्ति थी।

(उन्तालीस) एक बार जब यह मान लिया जाता है कि राज्य सरकार चावल की भूसी के हिस्से के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती है, तो अगला प्रश्न यह होगा कि क्या आदेश के खंड 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 42 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत उचित है या नहीं। रिट याचिकाओं में, मूल्य की तर्कसंगतता को चुनौती नहीं दी गई है क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई तारीख या आधार प्रदान नहीं किया गया है कि निर्धारित मूल्य इसकी लागत मूल्य से कम है। रिट याचिका में मूल्य के निर्धारण को चुनौती देने का एकमात्र आधार 'टोपी था क्योंकि पूरे चावल की भूसी के लिए अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत कोई नियंत्रण मूल्य तय नहीं किया गया है, इसलिए, धारा 3 (2) (एफ) के तहत बेचे जाने वाले चावल की भूसी के लिए, मूल्य

अधिनियम की धारा 3 (3) (सी) के तहत देय होगा, जिसका बाजार मूल्य +ओ है और चूंकि नियंत्रण आदेश में निर्धारित 42 रुपये प्रति क्विंटल बाजार मूल्य से बहुत कम था, इसलिए यह अधिनियम की धारा 3 (3) (सी) के विपरीत था। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, चूंकि राज्य सरकार चावल की भूसी के हिस्से के लिए भी अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य तय कर सकती है, इसलिए चावल की भूसी के 30% के नियंत्रण मूल्य के रूप में 42 रुपये लिए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने 10,000 करोड़ रुपये के निर्धारण को चुनौती दी थी। 42 नियंत्रण मूल्य के रूप में

और यदि रिट याचिकाओं में यह दिखाने के लिए तारीख प्रदान की गई होती कि यह याचिकाकर्ताओं के अनुचित या लागत मूल्य से कम था, तो मामले पर गौर किया गया होता, लेकिन चूंकि रिट याचिकाओं में कोई आधार नहीं रखा गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 42 रुपये के नियंत्रण मूल्य को इस मामले के तथ्यों पर +ओ बरकरार रखा जाएगा। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दायर उत्तर, जैसा कि एम. आर. शर्मा, जे. ने अपने निर्णय के पृष्ठ 4 पर पुन: प्रस्तुत किया है, को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पंजाब में 1978 के इसी तरह के आदेश के तहत चावल की भूसी के लिए 30 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत तय की गई थी और बाद के वर्ष में, जब कोई नियंत्रण आदेश नहीं था। लाइसेंसधारी डीलरों ने 37.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल की भूसी बेचने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसे बाद के वर्ष में बढ़ाकर 42 रुपये कर दिया गया। अंत में, यह कहा गया था कि चावल की भूसी की कीमत 42 रुपये प्रति क्विंटल तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया था। इस तरह के जवाब के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रतिकृति में दलील दी होगी कि सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया था और उन कारकों को उजागर किया जा सकता था और यह दिखाया जा सकता था कि 42 रुपये प्रति क्विंटल लागत मूल्य या उचित मूल्य से बहुत कम था। यह विवादित नहीं हो सकता है कि नियंत्रण मूल्य बाजार मूल्य नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई यथोचित तर्क दे सकता है कि नियंत्रण मूल्य उचित होना चाहिए, लागत मूल्य के अनुरूप होना चाहिए। तदनुसार, किसी तारीख के अभाव में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर यह माना जाता है कि 42 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत उचित है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

(चालीस) यह याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए अधिनियम की धारा 3 (3) (सी) के बारे में सटीक जानकारी देता है± धारा 3 (3) को पढ़ने से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा: 3 (2) (एफ) के संदर्भ में किए गए आदेश के अनुपालन में किसी आवश्यक वस्तु को बेचता है, तो उसे भुगतान किया जाना चाहिए।

(ग) खंड (क), (ख) अथवा पारस्परिक रूप से अनन्य के **धारा** अनुसार उसका मूल्य। वर्तमान मामले में, राज्य सरकार **याचिकाकर्ताओं के** द्वारा जारी आदेश भी अधिनियम का आदेश 3 (2) (एफ) है। **अंतर्गत अनुलग्नक** इसलिए, वकील **पी-1 कौन-कौन से** अधिकार है कि चावल की भूसी के लिए कीमत जो उन्हें आक्षेपित आदेश

अनुबंध पी -1 के तहत बेचनी है, धारा 3 (3) के अनुसार भुगतान किया जाना है। इस स्तर पर, पुनरुत्पादन करना प्रासंगिक हो गया है।
धारा 3 (3) इसके तीन खंडों के साथ:

> "8 (3) जहां कोई व्यक्ति खंड के संदर्भ में किए गए आदेश के अनुपालन में किसी आवश्यक वस्तु को बेचता है
>
> *मैं वीजे* जे इइफ्लिक हूं।
> (च) की उपधारा (2) के अनुसार, उसे उसके बाद उपबंधित मूल्य का भुगतान किया जाएगा-
>
> **(अ)** जहां इस धारा के तहत निर्धारित नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, पर लगातार सहमति हो सकती है, तो सहमत मूल्य;
>
> **(आ)** जहां ऐसा कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में गणना की गई कीमत, यदि कोई हो;
>
> **(इ)** जहां न तो खंड (ए) और न ही खंड (बी) लागू होता है, वहां बिक्री की तारीख पर इलाके में प्रचलित बाजार दर पर पुन: मूल्य की गणना की जाती है।

तीन खंडों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि उस वस्तु के लिए एक नियंत्रित मूल्य है जिसके लिए धारा 6 (zj Hi) के तहत आदेश जारी किया गया है, तो कीमत का भुगतान करना होगा, पहले खंड (ए) के तहत पार्टियों के समझौते के आधार पर, जो नियंत्रित मूल्य के अनुरूप होगा, जिसका अर्थ है कि यह नियंत्रित मूल्य से अधिक या कम भी हो सकता है। यदि सहमति है। यदि पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो खंड (ए) लागू नहीं होगा और खंड (बी) के तहत, मूल्य की गणना टीक्यू नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में की जाएगी, अकेले 42 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान नहीं किया जाएगा जो इस मामले में नियंत्रण मूल्य है, लेकिन 42 रुपये के नियंत्रण मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा और फिर स्थानीय कर, यदि कोई हो, तो पैकिंग या परिवहन जैसे आकस्मिक शुल्क ोें को जोड़ना पड़ सकता है यदि आपूर्ति बैग में की जानी है और इसे किसी विशेष स्थान पर ले जाना है। यदि इसकी आपूर्ति बोरियों या कंटेनरों के बिना की जानी है और परिवहन नहीं किया जाना है और कोई बिक्री कर आदि देय नहीं है, तो यह अकेले 42 रुपये का नियंत्रण मूल्य हो सकता है,

जिस पर अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के तहत चावल की भूसी बेचने वाले व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 3 (3) (बी) के तहत भुगतान की जाने वाली कीमत नियंत्रण मूल्य के संदर्भ में होगी। यदि उस वस्तु का कोई नियंत्रण मूल्य नहीं है जिसके संबंध में आदेश जारी किया गया है, तो केवल खंड (सी) लागू होगा जिसके तहत बिक्री की तारीख पर इलाके में प्रचलित बाजार दर पर मूल्य की गणना करनी होगी। इसलिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 3 (2) (एफ) के तहत जिस वस्तु के संबंध में आदेश जारी किया गया है, उसके संबंध में मूल्य क्या होना चाहिए?

धारा 3 (3) के तहत गणना की गई है, और क्या खंड (ए) या खंड (बी) परिचालन में आएगा या खंड (सी) लागू होगा, सबसे पहले नियंत्रण मूल्य के निर्धारण पर निर्भर करेगा और दूसरी बात यदि कोई नियंत्रण मूल्य है, तो क्या मूल्य के बारे में कोई समझौता हुआ है, जिसमें विफल रहने पर देय मूल्य की गणना नियंत्रण मूल्य के संदर्भ में की जाएगी। इसलिए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि खंड (सी) उस स्थिति में लागू होगा जहां कोई नियंत्रण मूल्य नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान मामले में एक नियंत्रण मूल्य तय किया गया है और केवल खंड (ए) और (बी) लागू होंगे और याचिकाकर्ताओं को इसके अनुसार मूल्य का भुगतान किया जाएगा, न कि केवल 42 रुपये प्रति क्विंटल क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उनके 30% चावल की भूसी को सरकार द्वारा 42 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित मनमाने मूल्य पर जब्त किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 3 (3) का संदर्भ जिसके तहत मूल्य देय है। 42 रुपये प्रति क्विंटल का नियंत्रण मूल्य भी मनमौजी नहीं पाया गया है।

(इक्तालीस) एक तर्क यह था; धारा 3(2)(ग) के अनुसार, आवश्यक वस्तु को खरीदने या बेचने के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए धारा 3(2)(एफ) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वस्तु के पूरे या एक निर्दिष्ट हिस्से को बेचने की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 3 (2) (सी) के तहत, अधिनियम के तहत, नियंत्रण मूल्य पूरी वस्तु का होना चाहिए, जबकि धारा 3 (2) (एफ) के तहत, एक व्यक्ति को आवश्यक वस्तु का पूरा या कुछ हिस्सा बेचने की आवश्यकता हो सकती है। इससे, याचिकाकर्ताओं के वकील यह निष्कर्ष निकालना चाहते थे कि धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य पूरी आवश्यक

वस्तु का तय किया जाना चाहिए, अन्यथा धारा 3 (2) (सी) के तहत यह प्रावधान किया गया होगा कि नियंत्रण मूल्य पूरे या उसी के हिस्से के लिए तय किया जा सकता है। मुझे इस तर्क से सहमत होने के लिए राजी नहीं किया गया है। सादे नियम की व्याख्या में, पूरे में हिस्सा शामिल है और इसलिए, जब यह खंड 3 (2) (एफ) में किसी व्यक्ति को पूरे या एक निर्दिष्ट हिस्से को बेचने की आवश्यकता के लिए प्रदान किया जाता है, तो यह केवल उदाहरण है। धारा 3 (2) (एफ) में आंशिक रूप से भी इस तरह के प्रावधान के निर्माण का उपयोग यथोचित तर्क देने के लिए नहीं किया जा सकता है कि धारा 3 (2) (सी) का अर्थ यह निकाला जाना चाहिए कि नियंत्रण मूल्य पूरी आवश्यक वस्तु के लिए तय किया जा सकता है, न कि उसके हिस्से के लिए। जैसा कि मैंने निर्णय के पहले भाग में पहले ही देखा है, धारा 3 (2) (सी) के तहत और साथ ही धारा 3 (2) (एफ) के तहत दोनों कार्य विधायी कार्य हैं और पूरे या उसके हिस्से के संबंध में प्रयोग किए जा सकते हैं। तदनुसार, यह माना जाता है कि भले ही खंड (एफ) बनाने का प्रावधान करता है

किसी आवश्यक वस्तु के संपूर्ण या आंशिक भाग के संबंध में एक आदेश, यदि किसी भी तरह से इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि खंड (सी) की व्याख्या करते समय, संपूर्ण आवश्यक वस्तु के लिए नियंत्रण मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

(42) अन्यथा भी, मैं वस्तु के भाग के लिए नियंत्रण मूल्य का निर्धारण अनुचित या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं पाता हूं। यदि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार, जैसा भी मामला हो, की यह राय है कि किसी आवश्यक वस्तु के 30% के नियंत्रण मूल्य से इस उद्देश्य की पूर्ति होगी, तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उसे ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। यदि बाद के चरण में, सरकार की यह राय है कि किसी आवश्यक वस्तु के अभी भी उच्च प्रतिशत का नियंत्रण मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, तो संपूर्ण के बजाय, वह ऐसा कर सकती है और अंत में जब राज्य सरकार यह राय बनाती है कि संपूर्ण आवश्यक वस्तु के मूल्य को नियंत्रित करना आवश्यक है, वह इसका भी सहारा ले सकता है। जैसा कि पहले ही देखा गया है, यदि कोई याचिकाकर्ता कुछ डेटा प्रदान करने में सक्षम है नहीं तो भौतिक तक; oसंतुष्टि की बातअदालत का आदेश उस वही का निर्धारण Controlol pricece iin विशेष रूप से यदि मामला आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है या लागत मूल्य से नीचे होने के कारण इतना अनुचित है, तो न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन, वर्तमान मामलों के तथ्यों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि चावल की भूसी के 30% का नियंत्रण मूल्य किसी भी तरह से अवैध या अनुचित है।

(43) तत्पश्चात् यह आग्रह किया गया कि आदेश के खण्ड 4 के अंतर्गत यदि मूल्य निर्धारित करने की मांग की जाती है तो यह पूरी तरह से अवैध है क्योंकि यह खंड निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, खाद्य एवं आपूत, हरियाणा को समय-समय पर चावल की भूसी का अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देता है, जो 42 रुपये की कीमत से अधिक या उससे भी कम हो सकता है और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई नियंत्रण मूल्य निर्धारित किया गया है। चावल की भूसी या उसके किसी भी हिस्से के लिए। तर्क की सराहना करने के लिए, आदेश का खंड 4 नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

"बिक्री मूल्य - खंड 3 में उल्लिखित परमिट के खिलाफ बेचे गए चावल की भूसी का अधिकतम बिक्री मूल्य समय-समय पर निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में कंटेनरों की लागत और करों को छोड़कर बिक्री मूल्य 42 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

उपरोक्त खंड का पहला भाग निश्चित रूप से विद्वान वकील के तर्क का समर्थन करता है। राज्य के विद्वान वकील

यह स्वीकार किया गया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य के निर्धारण की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं किया है। इसलिए, खंड 4 का पहला भाग राज्य सरकार द्वारा अपने विधायी कार्य से अधिक जारी किया गया है और इसे निरस्त किया जाता है। तब याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पूरा खंड 4 इतना अभिन्न रूप से मिश्रित है कि यदि पहले भाग को रद्द कर दिया जाता है, तो शेष खड़ा नहीं हो सकता है। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। दूसरा भाग, जो अपने आप में एक स्वतंत्र खंड है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान में राज्य सरकार ने कंटेनरों और करों के कोसी को छोड़कर चावल की भूसी का बिक्री मूल्य 42 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसलिए, अगला आदेश जारी होने तक, 42 रुपये होंगे; चावल की भूसी का नियंत्रण मूल्य 30% की सीमा तक है और यह भाग पहले भाग से स्पष्ट रूप से अलग है और ऐसा करते समय, यह माना जाता है कि खंड 4 का दूसरा भाग अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत जारी कानून का एक वैध आधार है जो 42 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 30% की सीमा तक चावल की भूसी का बिक्री मूल्य निर्धारित करता है। यदि धारा 3 (2) (सी) और 3 (2) (एफ) के तहत आदेश एक और एक ही आदेश द्वारा, या एक ही तारीख के दो अलग-अलग आदेशों द्वारा एक साथ जारी किए जाते हैं, तो भी धारा 3 (2) (एफ) द्वारा कवर किए गए सामान की कीमत की गणना धारा 3 (3) (ए) या (बी) के अनुसार की जाएगी। यदि धारा 3 (2) (एफ) के तहत आदेश पहले और धारा 3 (3) (सी) के तहत बाद में जारी किया जाता है, तो उस स्थिति में, धारा 3 (2) (एफ) द्वारा कवर किए गए सामानों की कीमत का भुगतान अधिनियम की धारा 3 (3) (सी) के अनुसार धारा 3 (2) (सी) के तहत आदेश जारी किए जाने से पहले की अवधि के लिए किया जाएगा और शेष वस्तुओं के लिए जिनकी आपूर्ति जारी होने के

बाद की जाएगी। धारा 3 (2) (सी) के तहत आदेश की गणना धारा 3 (3) (ए) या (बी) के आधार पर की जाएगी, जैसा भी मामला हो। इसी प्रकार, मान लीजिए कि राज्य सरकार को किसी भी समय नियंत्रण आदेश से खंड 4 को हटाना था, जबकि आदेश के शेष भाग को बनाए रखते हुए, जिसमें धारा 3 (2) (एफ) का संदर्भ है, उस स्थिति में, खंड 4 को हटाने की तारीख से, जिसके तहत नियंत्रण मूल्य तय किया गया है, अब से देय मूल्य धारा I n 3 (3) (c) के आधार पर होगा, लेकिन हटाने की तारीख से पहले, यह धारा 3 (3) (ए) या (बी) के तहत होगा, जैसा भी मामला हो। इसलिए, मुझे इस विवाद में कोई दम नहीं दिखता है।

(44) मामले को दूसरे कोण से देखा जा सकता है। राज्य सरकार को विशेष रूप से यह कहते हुए एक आदेश जारी करना था कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत चावल की भूसी के लिए मूल्य 42 रुपये प्रति क्विंटल और उसी आदेश के एक अन्य खंड द्वारा निर्धारित किया गया था।

पूरे चावल की भूसी को धारा 3 (2) (एफ) के तहत उस क्रम में वर्गीकृत व्यक्तियों को बेचा जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में, चावल की भूसी की कीमत का भुगतान डीलरों को धारा 3 (3) (ए) या (बी) के अनुसार किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। इस प्रस्ताव के साथ, याचिकाकर्ताओं के वकील का कोई झगड़ा नहीं था। धारा 3 (2) (सी) के तहत पूरे चावल की भूसी की कीमत 42 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई थी, लेकिन धारा 3 (2) (एफ) के तहत डीलरों द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को केवल 30% बेचने की आवश्यकता थी। यदि ऐसा है, तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि धारा 3 (2) (सी) के तहत चावल की भूसी के 30% का मूल्य निर्धारित करने के आदेश को विधायी मंजूरी के बिना कैसे माना जा सकता है। मान लीजिए, सरकार यह मानती है कि किसी आवश्यक वस्तु के 30% के मूल्य को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया है और उस आवश्यक वस्तु के लिए धारा 3 (2) (सी) के तहत मूल्य निर्धारित करने का आदेश जारी करती है और धारा 3 (2) (एफ) के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है। इस आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि समय-समय पर उत्पादित किए जाने वाले मौजूदा स्टॉक या स्टॉक में से 30% वस्तु अलग से रखी जाएगी जिस पर नियंत्रण मूल्य लागू होगा और यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे 30% की बिक्री पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर नियंत्रण मूल्य पर की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार, और शेष 70% वस्तु को उस कीमत पर बेचा जाएगा जिसे डीलर बेचना चाहता है। मेरे विचार से, विधायी स्वीकृति के दृष्टिकोण से या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दृष्टिकोण से इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। अत, मेरा विचार है कि राज्य सरकार के पास धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत चावल की भूसी के 30% का नियंत्रण मूल्य निर्धारित करने की शक्ति थी और यदि धारा 3(2)(एफ) के अंतर्गत कोई आदेश भी जारी किया जाता है, तो इसके लिए डीलर को देय मूल्य की गणना धारा 3(3) (क) या (ख) के अंतर्गत की जानी होगी, जैसा भी मामला नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में हो। धारा 3 (3) (सी) केवल तभी लागू होगी जब धारा 3 (2) (एफ) के तहत कोई आदेश है, लेकिन धारा 3 (2) (सी) के तहत कोई कीमत तय नहीं की गई है।

(44-ए) यह मुझे पार्टियों के लिए परिषद द्वारा उद्धृत तय किए गए मामलों पर विचार करने के लिए लाता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने निम्नलिखित रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर भरोसा किया था: –

(१) मैसर्स *भगवान सिंह और अन्य पंजाब राज्य और अन्य,* (9 सुप्रा)।

(२) *के. बी. जिनराजा हेग और अन्य मैसूर राज्य और अन्य* (10 सुप्रा)।

(३) मैसर्स *सीताराम ज्वाला प्रसाद और अन्य उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (11 सुप्रा)।

(४) *जो पेरकुरा और अन्य* वी। *भारत संघ और अन्य,* (14 सुप्रा)।

(५) *श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड* बहुत। *भारत संघ,* (2 सुप्रा)।

पहले चार निर्णय धारा 3 (3-बी) द्वारा कवर किए गए खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के ग्रेड या किस्म के संबंध में मूल्य के भुगतान से संबंधित हैं, जिसके बारे में धारा 3 (2) (एफ) के तहत आदेश जारी किए गए थे। उन सभी मामलों में धारा 3 (3-बी) के विभिन्न खंडों के अनुसार धारा 3 (2) (एफ) द्वारा कवर किए गए सामानों के लिए कीमत का भुगतान किया जाना था, जैसा कि यह 1976 के अधिनियम 92 द्वारा किए गए संशोधन से पहले प्रचलित था। संशोधन से पहले और बाद के संगत प्रावधान, जिन्हें मूल्य निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना था, नीचे पुन: प्रस्तुत किए जा रहे हैं -

संशोधन से पहले

(3-बी)। जहां उपधारा (2) के खंड (एफ) के संदर्भ में किए गए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की किसी गे्रड या किस्म को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या एजेंट को बेचे और ऐसे खाद्यान्नों के संबंध में या तो कोई अधिसूचना न हो, खाद्य तिलहन या खाद्य तेल उप-धारा (3-ए) के तहत जारी किए गए हैं या जारी की गई ऐसी कोई भी अधिसूचना समय के प्रवाह से लागू नहीं रह गई है; फिर उपधारा (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी, खाद्यान्नों के लिए मूल्य के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो कि खाद्य है।

संशोधन के बाद

(3-बी) जहां किसी व्यक्ति से उपधारा (2) के खंड (एफ) के संदर्भ में किए गए आदेश द्वारा यह अपेक्षित है कि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या एजेंट को या ऐसी सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम को खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की कोई गे्रड या किस्म बेचे, जिसके संबंध में उपधारा (3-क) के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, या ऐसी अधिसूचना जारी कर दी गई है, लागू नहीं हो गई है, उप-धारा में निहित

कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, जाएगा।
संबंधित व्यक्ति को भुगतान किया

संशोधन से पहले

तिलहन या खाद्य तेल-

(१) ऐसे गे्रड या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के लिए इस धारा के अंतर्गत या किसी अन्य कानून के तहत यदि कोई नियंत्रित मूल्य निर्धारित किया गया है; नहीं तो

(२) जहां ऐसा कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है, वहां ऐसे गे्रड अथवा किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों अथवा खाद्य तेलों का मूल्य उस क्षेत्र में जहां वह आदेश लागू होता है, फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान प्रचलित अथवा प्रबल होने की संभावना है।

स्पष्टीकरण: - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी क्षेत्र के संबंध में 'कटाई के बाद की अवधि' का अर्थ है चार महीने की अवधि जो पखवाड़े के अंतिम दिन से शुरू होती है, जिसके दौरान कटाई का काम नाममात्र शुरू होता है।

संशोधन ों के बाद

(3) खरीद मूल्य या ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों, जैसा भी मामला हो, के बराबर राशि, जो भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा केंद्र के पूर्व अनुमोदन से विनिर्दिष्ट की गई है। सरकार को ध्यान में रखते हुए-

(क) इस धारा के अधीन या इस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की ऐसी गे्रड या किस्म के लिए यदि कोई नियंत्रित मूल्य निर्धारित किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है; (ख) फसलों की सामान्य संभावनाएं क्या हैं; (ग) उपभोक्ताओं, विशेषकर उपभोक्ताओं के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर ऐसे गे्रड या किस्म के खाद्यान्न, खाद्य तिलहन या खाद्य तेल उपलब्ध कराने की क्या आवश्यकता है; और

(घ) खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के संबंधित गे्रड अथवा किस्म के मूल्य के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की यदि कोई सिफारिशें हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

असंशोधित प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 3 (2) (एफ) द्वारा कवर की गई वस्तुओं की कीमत को अधिनियम की उप-धारा (3) के तहत या किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान किया जाना था और ऐसा कोई मूल्य तय नहीं किया गया था, उस क्षेत्र

में फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान प्रचलित या प्रबल होने की संभावना के अनुसार जिस पर आदेश लागू होता है। सभी चार तय किए गए मामले उप-धारा (3-बी) के असंशोधित प्रावधान पर हैं और यह माना गया था कि

आदेश में निर्धारित मूल्य को अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता था और डीलरों को दूसरे खंड के तहत बाजार मूल्य पर भुगतान किया जाना था। मैंने ऊपर जो विचार व्यक्त किया है वह स्पष्ट रूप से उपरोक्त चार मामलों में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है। तदनुसार, *मैसर्स भगवान सिंह* वी। *पंजाब राज्य* (सुप्रा), अति-शासित है और अन्य तीन निर्णयों से असहमति व्यक्त की जाती है।

(पैंतालीस) उप-धारा (3-ख), जैसा कि अब यह है, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि धारा 3 (2) (एफ) द्वारा कवर की गई वस्तुओं के लिए देय मूल्य राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित किया जाएगा, जो ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के खरीद मूल्य के बराबर राशि होगी। चार उपखंडों नामत (क) से (घ) के संबंध में, जिसमें नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, सामान्य फसल संभावनाओं, उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर ऐसे ग्रेड या किस्म के खाद्यान्नों आदि को उपलब्ध कराने की आवश्यकता और कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखने का प्रावधान है। अब, यदि उप-धारा (3) और उप-धारा (3-ख) की तुलना की जाती है, तो यह देखा जाएगा कि उप-धारा 13 के तहत, राज्य सरकार द्वारा कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाना है, लेकिन भुगतान करते समय मूल्य की गणना खंड (ए) से (सी) द्वारा प्रदान किए गए तरीके से की जानी है, जैसा भी मामला हो, लेकिन उप-धारा (3-बी) के तहत राज्य सरकार को खंड (ए) से (3-बी) में निहित सामग्री को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित करना होगा। घ) जो खरीद मूल्य के बराबर राशि होनी चाहिए। इसलिए, दोनों प्रावधान पूरी तरह से अलग हैं।

(छियालीस) जहां तक *श्री मीनाक्षी मिल्स के मामले* (सुप्रा-1) का संबंध है, हमारा ध्यान रिपोर्ट के पैराग्राफ 70, 74 और 75 की ओर दिलाया गया था। इसे पढ़ने से पता चलता है कि धारा 3 (1) के तहत निर्धारित नियंत्रित मूल्य, जिसे धारा 3 (2) (सी) के साथ पढ़ा जाता है, उप-धाराओं (3-ए), (3-बी) और (3-सी) के तहत कीमत से अलग है। मैंने ऊपर जो दृष्टिकोण अपनाया है वह उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के पूर्ण अनुरूप है, क्योंकि मैंने माना है कि धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रित मूल्य वर्तमान मामले में धारा 3 (3) के तहत देय मूल्य से अलग होगा क्योंकि मूल्य की गणना नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में की जानी चाहिए। जब तक नियंत्रित मूल्य के साथ लगातार सहमति नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि यह नियंत्रित मूल्य से अधिक या कम हो सकता है। इसलिए

यह निर्णय विद्वान वकील के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

(सत्तालीस) दूसरी ओर, राज्य के वकील 1 को *श्री वेंकटेश्वर चावल मामले में खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा करना चाहिए।*

मिल और अन्य वाई। *अंधरा राज्य और अन्य* (15 सुप्रा), इस तर्क के समर्थन में कि एक आवश्यक वस्तु के समान प्रतिशत का नियंत्रण मूल्य धारा 3 (2) (सी) के तहत निर्धारित किया जा सकता है, जिसके संबंध में धारा 3 (2) (एफ) के तहत एक आदेश भी जारी किया जाता है। मैं इस निर्णय में अपनाए गए तर्क से पूरी तरह सहमत हूं। रिलायंस को **चांद बिहारी लाल बनाम *भारत संघ* सीडब्ल्यू 6, 1980 का निर्णय 14 मार्च, 1980** को लिया गया।, राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले में भी रखा गया था । इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का पालन किया गया है। उपरोक्त निर्णय के एक अंश को विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले में असंगति को दिखाने के लिए पुन: प्रस्तुत किया है। उद्धृत अंश को छोड़कर, मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य तर्कों से पूरी तरह सहमत हूं।

(अड़तालीस) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, हालांकि आक्षेपित आदेश के खंड 4 के पहले भाग को शून्य के रूप में निरस्त कर दिया गया है, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, इसलिए रिट याचिका को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

(उन्चास) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य में एक समान की परिकल्पना की गई है, जिस पर इसे राज्य के भीतर या परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में खरीदा या बेचा जा सकता है, इस पूर्ण पीठ के समक्ष मुख्य प्रश्न बन गया है।

(पचास) मुझे अपने विद्वान भाई शर्मा, जे. द्वारा दर्ज किए गए निर्णय को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के आधार पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है) की धारा 3 में आवश्यक वस्तुओं के कुछ प्रतिशत के लिए भी नियंत्रण मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, शेष को खुले बाजार मूल्य पर अनियमित और अस्थायी और उतार-चढ़ाव के लिए छोड़ दिया जाएगा। संक्षेप में, यह कार्यकारी सरकार को किसी आवश्यक वस्तु के किसी भी प्रतिशत के लिए कोई भी मूल्य तय करने की शक्ति प्रदान करेगा। अत्यंत सम्मान के साथ मेरा विचार है कि न तो धारा 3 और न ही अधिनियम के अन्य अनुरूप प्रावधानों में केन्द्र सरकार को ऐसी अनिर्देशित और असंतुलित शक्तियां प्रदान करने की

परिकल्पना की गई है। यहां सार्थक मुद्दा बड़े, प्रभाव और सबसे बड़े सम्मान के साथ शामिल है। इसलिए शर्मा जे. को, मैं इस असहमति को दर्ज करने के लिए मजबूर हूं।

(इकावन) इतने कानूनी मुद्दे में, उसे जन्म देने वाले तथ्य अनिवार्य रूप से पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। फिर भी इसके मैट्रिक्स इस निर्णय की एकरूपता बनाए रखने के लिए, संक्षेप में, ध्यान दिया जाना चाहिए। याचिका दायर करने वाली ये 29 कंपनियां कमल में चावल मिलिंग का कारोबार करती हैं। वे धान खरीदते हैं और इसे अपने शैलर में डालने के बाद चावल का उत्पादन करते हैं, जिसका नब्बे प्रतिशत हरियाणा खरीद लेवी आदेश के तहत अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को देना पड़ता था, शेष को खुले बाजार में बेचने के लिए छोड़ दिया जाता था। याचिकाकर्ताओं ने कटाई के मौसम (अक्टूबर और नवंबर, 1980) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा था, जो कि उसका निर्धारित खरीद मूल्य था। धान को चावल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में सबसे पहले चावल की भूसी को हटाना शामिल होता है और उसके बाद पॉलिशिंग की प्रक्रिया में आंतरिक खोल को भी हटा दिया जाता है जिसे वाणिज्यिक शब्दों में चावल की भूसी के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग तेल के निष्कर्षण के साथ-साथ पोल्ट्री भोजन के लिए भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का दृढ़ रुख यह है कि चावल की भूसी की वर्तमान बाजार दर 126 रुपये प्रति क्विंटल थी।

(बावन) 27 जनवरी, 1981 को, हरियाणा राज्य ने हरियाणा चावल भूसी (वितरण और मूल्य, नियंत्रण) आदेश, 1981 (अनुलग्नक पी. 1) (इसके बाद नियंत्रण आदेश कहा जाता है) को प्रख्यापित किया। नियंत्रण आदेश का खंड (3) खंड 2 (ई) में परिभाषित चावल मिलों के सभी डीलरों और मालिकों को जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के खिलाफ हरियाणा राज्य के पोल्ट्री किसानों को उनके द्वारा निकाले गए चावल की भूसी का 30 प्रतिशत बेचने या बिक्री की पेशकश करने के लिए बाध्य करता है। खाद्य एवं आपूर्ति, हरियाणा। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि खंड 4 द्वारा परमिट के खिलाफ बेचे गए चावल की भूसी के अधिकतम बिक्री मूल्य को निर्धारित करने की शक्ति, जैसा कि खंड (3) में उल्लिखित है, खाद्य आपूर्ति निदेशक, हरियाणा के पूर्ण विवेक में निहित है, जिसे समय-समय पर प्रयोग किया जाना है। खास बात यह है कि

वर्तमान बिक्री मूल्य मनमाने ढंग से 42 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली राशि पर तय किया गया है, जबकि खुले बाजार में इसकी वर्तमान कीमत 120 रुपये प्रति क्विंटल है। नियंत्रण आदेश के खंड 5 और 6 में प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्राप्त करने और चावल की भूसी आदि के स्टॉक और आपूत के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रियात्मक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(तिरपन) यह (याचिकाकर्ताओं का दृढ़ रुख है कि धारा 3 (2) (सी) के तहत चावल की भूसी का कोई नियंत्रण मूल्य तय नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप चावल की भूसी के लिए अनिवार्य खरीद मूल्य होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) और विशेष रूप से उसके खंड (सी) के अनुरूप क्योंकि उक्त उपधारा के खंड (ए) और (बी) लागू नहीं थे। अपने रुख की पुष्टि के लिए कि वर्तमान बाजार मूल्य 120 रुपये था, अनुबंध पी. 2 और पी. 3, उपरोक्त मूल्य पर 100 क्विंटल चावल की भूसी की बिक्री के लिए कैश मेमो को याचिका में संलग्न किया गया है। यह दोहराया जाता है कि प्रतिवादी-राज्य ने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) (सी) द्वारा निर्धारित बिक्री की तारीख के इलाके में प्रचलित बाजार दरों के संबंध में मूल्य की गणना नहीं की है। इस प्रकार मनमाने ढंग से तय की गई 42 रुपये प्रति क्विंटल की हास्यास्पद रूप से कम दर को याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक शिकायत के रूप में बताया गया है, और यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पोल्ट्री किसानों द्वारा उत्पादित पोल्ट्री उत्पादों की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए कोई तर्क नहीं है कि उन्हें इतनी कम कीमतों पर पोल्ट्री फीड क्यों उपलब्ध कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के नुकसान के लिए। मुख्य रूप से रिट याचिका के पैरा 14 में उल्लिखित पांच आधारों पर 42 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत के निर्धारण को चुनौती दी गई है।

(चौवन) नियंत्रण आदेश को चुनौती देने में प्रतिवादी-राज्य का रुख थोड़ा अस्पष्ट है। हालांकि, मूल स्थिति यह है कि मूल्य अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के प्रावधानों के अनुरूप तय किया गया है, और इसलिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिनियम की धारा 3 (3) पर कोई भी संदर्भ और निर्भरता गलत है। जाहिर ा तौर पर विकल्प में यह अस्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि तय

की गई कीमत आम तौर पर धारा 3 (3) (सी) के प्रावधान के अनुरूप है। जहां तक मूल्य का संबंध है, चावल की भूसी की वर्तमान कीमत 120 रुपये होने के बारे में एक अस्पष्ट खंडन किया गया है, लेकिन यह तथ्य कि बाजार दर 42 रुपये से बहुत अधिक थी, पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित दलीलों में वस्तुतः स्वीकार किया गया है: -

> ** * याचिकाकर्ताओं को नियंत्रण आदेश द्वारा अनुमत मुक्त बिक्री की सीमा इतनी बड़ी है कि वे अधिकांश चावल की भूसी को उनके लिए सुविधाजनक और बेहतर दरों पर बेच सकते हैं और नियंत्रण आदेश के तहत जारी परमिट के तहत 30 प्रतिशत की आपूर्ति करके नुकसान, यदि कोई हो, की भरपाई कर सकते हैं।

प्रतिरूप के जवाब में दायर हलफनामे में, प्रतिवादी-राज्य ने इसके पैराग्राफ 4 में यह स्वीकार करने में अधिक विशिष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अक्टूबर से नवंबर तक चावल की भूसी का बाजार मूल्य 67.25 रुपये से था।

70 रुपये प्रति क्विंटल तक और कैश मेमो पर भरोसा किया गया। इसमें R. 1 और R. 2 प्रदर्शित किए गए हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल्य निर्धारित करने में भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया था और साथ ही कतिपय अन्य बातों और संगत सामग्रियों को भी ध्यान में रखा गया था।

(पचपन) इसे स्पष्ट करने के लिए< सीधे-सीधे एलसी ने देखा कि नियंत्रण आदेश की वैधता को अनुच्छेद 19 (एफ) और (जी) के आधार पर चुनौती नहीं दी गई है और न ही संविधान के किसी अन्य प्रावधान पर। याचिकाकर्ताओं की ओर से एकमात्र चुनौती अधिनियम की धारा 3 और विशेष रूप से इसकी उप-धारा (3) के कथित उल्लंघन के आधार पर है। चूंकि विवाद को अनिवार्य रूप से नियंत्रण आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के आसपास हल किया जाना चाहिए, इसलिए उन्हें शुरू में ही पढ़ना उचित है।

"जबकि राज्य सरकार की राय है कि चावल की भूसी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अत, अत, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं 2008-02 के साथ पढ़ा जाता है। जीएसआर-800 दिनांक 9 जून, 1978 और इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियां और केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से हरियाणा सरकार निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :-

एक- संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ- (1) इस आदेश को हरियाणा चावल भूसी (वितरण और मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1981 कहा जा सकता है।

(दो) यह पूरे हरियाणा राज्य में फैला हुआ है।

(तीन) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ- इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है-

4c # * *

* * * *

* # * *

तीन. परमिट जारी करना:

सभी डीलर और मालिक जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के खिलाफ हरियाणा राज्य के पोल्ट्री किसानों को उनके द्वारा निकाले गए 30 प्रतिशत चावल की भूसी को बेच ेंगे या बेचने की पेशकश करेंगे।

चार. बिक्री मूल्य:

खंड 3 में उल्लिखित परमिट ों के विरुद्ध बेचे गए चावल की भूसी का अधिकतम बिक्री मूल्य निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में कंटेनरों की लागत और करों को छोड़कर बिक्री मूल्य 42 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

(छप्पन) पार्टियों की ओर से उठाए गए विवादों पर ध्यान देने से पहले तीन प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देना उचित है जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है। यह सामान्य मामला है कि नियंत्रण आदेश का खंड (3) अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) से अपनी कानूनी मंजूरी प्राप्त करता है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से किसी भी आवश्यक वस्तु की खरीद या बिक्री या उत्पादन के व्यवसाय में लगे किसी भी व्यक्ति या स्टॉक में रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी आवश्यक वस्तु का पूरा या निर्दिष्ट हिस्सा सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को बेचने के लिए आदेश बनाने का आदेश देता है जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड (3) अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) की आवश्यकताओं के अनुरूप है और इसके तहत जारी किया गया है।

(सत्तावन) फिर, यह निर्विवाद है कि बिक्री मूल्य से संबंधित खंड (4) पूर्ववर्ती खंड (3) से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि अधिकतम बिक्री मूल्य परमिट के खिलाफ बेचे गए चावल की भूसी से संबंधित है। नतीजतन, खंड (4) अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के तहत अनिवार्य रूप से खरीदी या बेची जाने वाली आवश्यक वस्तु के मूल्य के निर्धारण का प्रावधान करता है। तीसरा, यह सामान्य मामला है कि नियंत्रण

आदेश द्वारा या अन्यथा अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) में परिकल्पित अधिनियम के तहत चावल की भूसी की पूरी वस्तु के लिए कोई नियंत्रण मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(अठ्ठावन) उपरोक्त स्वीकृत पृष्ठभूमि के खिलाफ, याचिकाकर्ता के वकील ने दो तरफा हमला शुरू किया। सबसे पहले, यह तर्क दिया जाता है कि धारा के तहत परिकल्पित नियंत्रण मूल्य अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत प्रदान की गई चीज से बहुत अलग है। अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) द्वारा आमतौर पर विचार किए गए पूरे राज्य के सामान्य नियंत्रण मूल्य के बीच सबसे तेज अंतर निर्धारित किया जाना चाहिए और अधिनियम की उप-धारा (3) के खंड (ए), (बी) और (सी) में से किसी एक के तहत निर्धारित और देय अनिवार्य खरीद मूल्य के मुकाबले एक ऐसे व्यक्ति को जो धारा 3 (2) के संदर्भ में किए गए आदेश के अनुपालन में एक आवश्यक वस्तु बेचने के लिए बाध्य था। (च) अधिनियम की धारा 10 वकील के अनुसार दोनों अवधारणाएं पूरी तरह से अलग हैं1 और अलग-अलग हैं और ट्वेन कभी नहीं मिल सकते हैं।

(उनसठ) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का दूसरा तर्क जो वास्तव में पहले का एक अंग या अभिन्न अंग है, यह है कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत परिकल्पित सामान्य नियंत्रण मूल्य एक निश्चित समान मूल्य है जिसके बाद एक आवश्यक वस्तु को खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह पूरी वस्तु की कीमत के लिए एक पोल स्टार सीलिंग सीमा प्रदान करता है। इसे एक प्रतिशत में विभाजित नहीं किया जा सकता है या स्मिथेरेंस में विभाजित नहीं किया जा सकता है। या तो पूरी वस्तु के लिए एक नियंत्रण मूल्य है या कोई नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत आवश्यक वस्तु के केवल एक हिस्से के लिए नियंत्रण मूल्य नहीं हो सकता है, बाकी को अनियमित या अस्थायी या खुले बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए छोड़ दिया जाता है।

(साठ) हालांकि उपरोक्त दोनों विवाद, कुछ बिंदुओं पर, एक-दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन स्पष्टता के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से निपटना सबसे अच्छा है। पहले एक के संदर्भ में, दो कानूनी (प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछे गए हैं कि क्या अधिनियम की धारा ^ (2) (सी) के तहत निर्धारित नियंत्रण मूल्य अधिनियम की धारा 3 (3) के खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत देय अनिवार्य खरीद मूल्य से

अलग और अलग है।

(इकसठ) यदि कोई उपरोक्त मुद्दे को समझता है, तो इसे पहले प्रावधानों के विधायी इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना उचित और शिक्षाप्रद दोनों है और साथ ही अधिनियम की धारा 3 (3), ^ (3-ए), (3-बी) और (3-सी) के अंतर-जुड़े प्रावधानों से प्रकट होने वाली कानून की बड़ी योजना को भी देखें।

(बासठ) हमारे उद्देश्यों के लिए पूर्ववर्ती क़ानून अर्थात् आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 से परे यात्रा करना अनावश्यक है। इसे (वर्तमान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) द्वारा सफल बनाया गया था। हालांकि, संशोधनों की एक श्रृंखला है

इसके बाद, जिनमें से कुछ इस संबंध में विधायी इरादे के स्पष्ट संकेत के रूप में नोटिस की मांग करते हैं। अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) न केवल अधिनियम का हिस्सा है जैसा कि मूल रूप से 1955 में अधिनियमित किया गया था, बल्कि वास्तव में आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम की पिछली धारा 3 के साथ मेल खाता है। 1946. इस प्रावधान के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के संदर्भ में किए गए आदेश के अनुपालन में किसी आवश्यक वस्तु को बेचने के लिए निर्देशित किसी व्यक्ति को खंड (ए), (बी) और (सी) के अनुसार मूल्य का भुगतान। हालांकि, उस स्तर पर उप-धाराओं (3-ए), (3-बी) और (3-सी) के प्रावधान कानून से काफी अनुपस्थित थे। यह आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्या 13) द्वारा था कि उप-धारा (3-ए) को क़ानून में शामिल किया गया था। यह कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने और किसी भी इलाके में खाद्य पदार्थों की जमाखोरी को रोकने के लिए एक आपातकालीन प्रावधान की प्रकृति में था और इसके तहत जारी अधिसूचना तीन महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जानी थी। यहां तक कि यहां तक कि धारा (3-ए) (आई) के खंड (ए), (बी) और (सी) में विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के तहत एक आदेश के तहत खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए बाध्य किसी भी व्यक्ति के लिए वैधानिक, मूल्य के निर्धारण के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1966 (अधिनियम (1966 का संख्या 25) और आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन)

अधिनियम, 1967 (1967 का अधिनियम संख्या 36), उप-धाराएं (3-बी) और (3-सी) तब क़ानून में जोड़ी गईं। यहां फिर से उप-धारा (3-बी), जो विशेष रूप से खाद्यान्नों, खाद्य तेल बीजों और खाद्य तेलों से संबंधित है, ने अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के तहत उस व्यक्ति को देय वैधानिक मूल्य के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है, जिससे अनिवार्य बिक्री या खरीद की गई थी। फिर से धारा (3-सी), जो सभी प्रकार की चीनी के लिए विशिष्ट प्रावधान था, धारा 3 (2) (एफ), - धारा 3 (2) (एफ) के तहत बेचने के लिए आवश्यक व्यक्ति को ऐसी कीमत के भुगतान के लिए वैधानिक दिशानिर्देशों को स्पष्ट करने में अधिक स्पष्ट था। विधायिका के वास्तविक इरादे को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, उप-धारा (3-बी) का एक संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 1971 द्वारा पेश किया गया था, इस संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण शिक्षाप्रद है क्योंकि यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि उप-धारा (3-बी) के तहत देय नियंत्रण मूल्य और मूल्य अलग-अलग थे।

> "अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3-बी) खाद्यान्न, खाद्य तिलहन की कीमतें तय करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है या

अधिनियम की धारा 3(2)(एफ) के तहत दिए गए आदेश के अनुसरण में बेचे जाने वाले खाद्य तेल। (i) खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों का नियंत्रित मूल्य उस धारा के अधीन या किसी अन्य कानून के अधीन निर्धारित किया जाता है; और (ii) उस क्षेत्र में फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाले खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों के मूल्य जिस पर आदेश लागू होता है। फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान प्रचलित मूल्य या संभावित मूल्य का आकलन करने का प्रश्न तभी उठेगा जब कोई नियंत्रित मूल्य न हो। इसलिए इसे स्पष्ट करने के लिए उप-धारा (3-बी) में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है।

मैं इस संदर्भ में विधायिका की चिंता और निर्णय आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1976 से स्पष्ट होता है, जिसने पहले वाले के स्थान पर वर्तमान उप-धारा (3-बी) को प्रतिस्थापित किया। इस संबंध में उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नानुसार था -

(iii) - खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों पर लेवी के मामले में मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रदान करने के लिए धारा 3 की उप-धारा (3बी) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, और आगे ऐसे मूल्य के निर्धारण के लिए मानदंड प्रदान किया जा रहा है।

इस संशोधन के द्वारा सांविधिक मूल्य निर्धारित करने के मानदण्ड ोंं को खंड (क), (ख), (ग) और (घ) सम्मिलित करके और भी अधिक सटीक बनाया गया जिसके संबंध में इसका निर्धारण किया जाना था।

(तिरसठ) मैं इस अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के तहत अनिवार्य खरीद के लिए मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रत्येक चरण में विधायिका के आग्रह को रेखांकित करने के लिए पूर्वोक्त के कानूनी इतिहास में दर्द से भरा विज्ञापन देना चाहता हूं । जहां एक ओर विधायिका ने विनियमन और यहां तक कि आवश्यक वस्तुओं के अनिवार्य अधिग्रहण की व्यापक शक्तियां प्रदान कीं, वहीं इसने समान सुरक्षा उपाय प्रदान किए कि ऐसी अनिवार्य खरीद के लिए नागरिक को देय मूल्य उसके बराबर था और इसे कार्यपालिका की बुद्धि पर नहीं छोड़ा गया था, बल्कि विधायिका के स्पष्ट जनादेश द्वारा निर्धारित किया जाना था। बड़ा ऐतिहासिक इतिहास; आवश्यक वस्तुओं पर कानून यह है कि यह लाभकारी है (कुछ को छोड़कर) इसके विपरीत विशेष और व्यक्त प्रावधान)

नियामक उपाय और किसी भी तरह से या तो निष्कासन या जब्ती के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।

(चौंसठ) कानून की धारा 3 (अधिनियम की धारा 3) की वृहद योजना और उस व्यक्ति को देय मूल्य के निर्धारण के लिए उसमें दिए गए दिशा-निर्देशों के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए व्यापक कैनवास पर नोटिस की आवश्यकता है, जिससे किसी आवश्यक वस्तु को अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाता है। जबकि किसी विशेष स्तर पर खरीदे या बेचे जा सकने वाली सभी आवश्यक वस्तु के लिए अधिकतम नियंत्रण मूल्य निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) से आती है, विधायिका ने अपने विवेक से किसी आवश्यक वस्तु के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत की मात्रा के लिए अलग-अलग और सटीक मानदंड निर्धारित किए हैं, जब इसे विभिन्न उप-धाराओं के तहत इसके मालिकों से अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया जाता है। अलग-अलग समय पर प्रविष्टि जे या प्रतिस्थापन पहले देखा गया है। इन पर विस्तार से ध्यान देना शायद उचित होगा क्योंकि ये अनिवार्य वस्तुओं की अनिवार्य खरीद या अधिग्रहण के लिए मूल्य के भुगतान के महत्वपूर्ण मुद्दे को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त और सटीक दिशा-निर्देश निर्धारित करने के विधायिका के इरादे पर उंगली उठाते हैं -

" 3. (3) एक्स एक्स एक्स

(अ) जहां इस धारा के तहत निर्धारित नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, के साथ लगातार सहमत मूल्य पर सहमति व्यक्त की जा सकती है;

(आ) जहां ऐसा कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में गणना की गई कीमत, यदि कोई;

(इ) जहां न तो सीएल (ए) और न ही सीएल (बी) लागू होता है, बिक्री की तारीख पर इलाके में प्रचलित बाजार दर पर गणना की गई कीमत।

(3-ए) (i) X x x

(२) X x x

(३) X x x

(अ) जहां इस धारा के तहत निर्धारित खाद्य पदार्थों के नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, के साथ लगातार सहमत मूल्य पर सहमति व्यक्त की जा सकती है;

(आ) जहां ऐसा कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में गणना की गई कीमत, यदि कोई हो;

(इ) जहां न तो सीएल (ए) और न ही (सीएल (बी) लागू होता है, अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले तीन महीने की अवधि के दौरान इलाके में प्रचलित औसत बाजार दर के संदर्भ में गणना की गई की।

(४) X X X

(५) (3-बी) X X X

(अ) नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, इस धारा के तहत या उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। या इस तरह के ग्रेड या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तेलों के बीज* या खाद्य तेलों के लिए किसी अन्य कानून के तहत लागू है;

(आ) सामान्य फसल की संभावनाएं;

(इ) उपभोक्ताओं, विशेष रूप से उपभोक्ताओं के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर ऐसे ग्रेड या किस्म के खाद्यान्न, खाद्य तिलहन या खाद्य तेल उपलब्ध कराने की आवश्यकता; और

(ई) खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की संबंधित ग्रेड या किस्म के मूल्य के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें, यदि कोई हों, तो वे सिफारिश करती हैं।

(६) (3-C) X X X X X

(अ) इस धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य, यदि कोई हो;

(आ) चीनी की विनिर्माण लागत;

(इ) शुल्क या कर, यदि कोई हो, का भुगतान किया गया या उस पर देय है; और

(ई) चीनी के निर्माण के व्यवसाय में नियोजित पूंजी पर उचित रिटर्न

हासिल करना।

और समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए या विभिन्न, कारखानों या विभिन्न प्रकार की चीनी के लिए अलग-अलग कीमतें निर्धारित की जा सकती हैं।

संख्या आदि X: " ■ ■

(पैंसठ) यहां तक कि उपरोक्त उपबंधों के संग्रह से भी इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि धारा 3 की बड़ी योजना यह नहीं है कि जब विधायिका किसी आवश्यक वस्तु को अनिवार्य रूप से खरीदने या अधिग्रहण करने का निर्णय लेती है तो वह अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के तहत अनिवार्य रूप से किसी वस्तु की खरीद या अधिग्रहण करने का निर्णय लेता है और शेष प्रावधानों द्वारा उसे दी गई अन्य व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। आम तौर पर आवश्यक वस्तुओं की प्रत्येक विशिष्ट श्रेणी में; खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों के किसी भी ग्रेड या किस्म के संबंध में आपातकालीन उपाय के रूप में एक विशेष इलाके में खाद्य पदार्थों के संबंध में; और हर प्रकार की चीनी के संदर्भ में, विधायिका ने सावधानीपूर्वक दृढ़ मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसके आधार पर अनिवार्य खरीद के लिए देय मूल्य निर्धारित किया जाना है। ऐसा नहीं हुआ है और शायद यह केवल कार्यकारी प्राधिकारी के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि वह कोई भी कीमत तय करे जिसे वह अनिवार्य अधिग्रहण के लिए भी चुन सकता है क्योंकि यदि ऐसा होता है, तो यह प्रावधान अव्यवस्थित और अनिर्देशित शक्तियों से दूषित हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करके असंवैधानिकता को आकर्षित कर सकता है। उपधारा (3), (3-ए), (3-बी) और (3-सी) की व्यापक योजना को जब सामूहिक रूप से देखा जाता है, तो यह रुख नकारात्मक होगा कि अनिवार्य खरीद और अधिग्रहण के लिए देय मूल्य को उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ के बिना मनमाने ढंग से निर्धारित किया जा सकता है, जो भी लागू हो।

(छियासठ) जो कुछ भी दिखाई देता >है, वह अंतिम न्यायालय के उदाहरण के अनुसार समान रूप से पवित्र है। उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्संबंध को श्री मेनाक्षी मिल्स लि बनाम भारत में देखा गया और स्वीकार किया गया। भारत संघ, (सुप्रा 2), मुख्य न्यायाधीश रे द्वारा संविधान पीठ के लिए निम्नलिखित आग्रहों के साथ बोलते हुए: -

"याचिकाकर्ता के तर्क का मुख्य मुद्दा यह है कि उचित मूल्य का मतलब कच्चे माल की लागत के संबंध में निर्धारण है

सामग्री, विनिर्माण लागत और व्यवसाय में नियोजित पूंजी पर

उचित रिटर्न इस निर्माण पर स्थापित किया गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (3), (3-ए), (3-बी) और (3-सी) एक एकल योजना का गठन करती है और उप-धारा (3) में निहित क्या उप-धारा (3-सी) में स्पष्ट किया गया है।

(सड़सठ) अधिनियम की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत मूल्य पर लागू ढीली शब्दावली के प्रयोग से यह भ्रम उत्पन्न होता है और इसके परिणामस्वरूप क्या भ्रम उत्पन्न होता है और क्या निर्धारित किया जाना है; जबकि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत निर्धारित मूल्य को स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से पूरी वस्तु के नियंत्रित मूल्य के रूप में स्टाइल किया गया है, मेरे विचार से अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत देय और निर्धारित राशि के लिए समान और समान शब्दावली का उपयोग करना एक त्रुटि है। दोनों की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत निर्धारित राशि को अधिक उपयुक्त रूप से अनिवार्य बिक्री मूल्य या वैकल्पिक अनिवार्य खरीद मूल्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किसी विशेष मामले में यह वास्तव में एक विशेष लेनदेन की कीमत का निर्धारण हो सकता है जहां अधिनियम की धारा 4 (2) (एफ) के तहत आवश्यक वस्तु किसी एक व्यक्ति से अधिग्रहित की जाती है, जो पूरी वस्तु के सामान्य नियंत्रण मूल्य के विपरीत है, जो सामान्य होना चाहिए, अर्थात, या तो देशव्यापी या राज्यव्यापी या कम से कम स्थानव्यापी अनुप्रयोग।

(तिरसठ) अपने रुख की अंतर्निहित कमजोरियों का सामना करते हुए, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील श्री नौबत सिंह ने अंतिम * उपाय में यह तर्क देने का प्रयास किया था कि इसमें केवल एक कीमत है और धारा 3 (3) के तहत देय होने के लिए उल्लिखित और निर्धारित मूल्य है। अधिनियम भी नियंत्रित है के तहत कीमत खंड 3 2 (ग) टी अधिनियम के बारे में। सदस्यता लेने इस तरह के निवेदन के लिए उप-धारा < (बी) के खंड (ए;), (बी) और < (सी) को स्पष्ट रूप से असंगत और अनुचित माना जाएगा। यदि नियंत्रण आदेश में मनमाने ढंग से उल्लिखित मूल्य को अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य के रूप में करार दिया जाना है, तो वास्तव में अधिनियम की उप-धारा (3) के खंड (ए), (बी) (और (सी) में दिशानिर्देश क्या हैं? यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी राज्य की ओर से की गई प्रस्तुति वास्तव में पूरे प्रश्न को जन्म देती है, और उपर्युक्त खंड (ए) और (बी) को पढ़ने से यह हो जाएगा।

जाहिर है कि विधायिका ने एक जनादेश के रूप में निर्धारित किया था कि इसके

तहत भुगतान की जाने वाली कीमत पहले से मौजूद नियंत्रण मूल्य, यदि कोई हो, की नींव पर टिकी हुई है। यह कहना कि मूल्य को मनमाने ढंग से नियंत्रण क्रम में नामित किया जाता है, वास्तव में धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य बन जाता है, एक सर्कल को परिपत्र के रूप में परिभाषित करने के प्रयास से अधिक नहीं है। वास्तव में खंड (ए) और (बी) मूल धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि पहले से ही एक नियंत्रण मूल्य मौजूद है जिसके आधार पर अनिवार्य अधिग्रहण के लिए भुगतान निर्धारित किया जाना है। वस्तु के लिए मौजूदा नियंत्रण मूल्य के मामले में इसे खंड (ए) के तहत नियंत्रण मूल्य के अनुरूप पार्टियों के समझौते द्वारा निर्धारित किया जाना है और ऐसे किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफलता के मामले में, मूल्य की गणना प्राधिकरण द्वारा की जानी है, लेकिन फिर भी मौजूदा नियंत्रण मूल्य के बुनियादी मानदंडों पर। इसलिए, खंड (ए) और (बी) के तहत मूल्य निर्धारित करने के लिए बहुत अनिवार्य शर्त एक मौजूदा नियंत्रण मूल्य है। जब प्रावधान किसी कीमत के अनुरूप या संदर्भ में होने की बात करता है, तो यह स्पष्ट रूप से ऐसी चीज के अस्तित्व को पूर्व-मानता है। ऐसे संदर्भ में यह कहना कि धारा 3(3) के तहत निर्धारित मूल्य अपने आप में नियंत्रण मूल्य बन जाएगा, स्पष्ट रूप से अतार्किक प्रतीत होता है क्योंकि स्थिरता और संदर्भ दो चीजों में प्रासंगिक हैं, न कि एक में।

(उनहत्तर) स्थिति और मौजूदा नियंत्रण मूल्य की अनुपस्थिति के लिए प्रावधान स्पष्ट है और इसका जनादेश स्पष्ट है। इसके बाद खंड (ग) लागू होगा और फिर बिक्री की तारीख पर इलाके में प्रचलित बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए, स्पष्ट रूप से, नियंत्रण आदेश में मूल्य का केवल मनमाना निर्धारण एक आवश्यक वस्तु के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए खंड (ए), (बी) और (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है और इसे अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत सामान्य नियंत्रण मूल्य होने के पायदान तक नहीं उठाया जा सकता है।

(सत्तर) अधिनियम की धारा 3 (2), (सी) और 3 (3) के तहत कानून द्वारा शक्ति की सीमा और सीमा का सामना करते हुए, उत्तरदाताओं की ओर से एक अंतिम हताश फेंकने का प्रयास किया गया था। यह तर्क दिया जाना चाहिए कि यदि इन दोनों प्रावधानों में से कोई भी नियंत्रण आदेश में मूल्य के मनमाने निर्धारण को सही नहीं ठहरा सकता है, तो यह माना जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा दी गई शक्ति की व्यापकता के तहत ऐसा किया गया है। जब धारा 3 की उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से विशिष्ट स्थितियों के लिए प्रावधान करती

इसके खंड (क) से (ञ) में इसके विस्तार से उल्लेख किया गया है, यह तर्क देना व्यर्थ और वास्तव में अतार्किक होगा कि इन विशेष और विशिष्ट प्रावधानों के

बावजूद, इन सभी को आसानी से अनदेखा किया जा सकता है और कानून की पुस्तक और सहारा को उप-धारा (1) के तहत जौवर की व्यापकता के अनुसार माना जाना चाहिए, भले ही उनके अभ्यास के लिए क़ानून द्वारा ही उन पर लगाई गई शर्तें और अवरोध हों। इस तरह के निर्माण से उप-धारा (2) के साथ-साथ उप-धारा (3), (3 ए), (3 बी), (3 सी), (4) (4 ए) और (4 बी) पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगी। मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब संविधि स्पष्ट रूप से धारा 3 (2) (सी) या 3 (2) (एफ) के अनुसार कुछ करने का प्रावधान करती है, तो उसके प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए और उन्हें अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत पीओवी/ईआर की व्यापकता के किसी भी धारणा या सहारा द्वारा शून्य नहीं किया जा सकता है।

(एकहत्तर) इसके अलावा, प्रतिवादी-राज्य द्वारा उनके पूर्वोक्त और मांगे गए निर्देशों का निर्धारण इस तथ्य से किया जाता है कि यहां शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि केवल राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में ऐसे प्रतिनिधिमंडल की सीमाओं के भीतर सख्ती से किया जा रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि नियंत्रण आदेश केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत कार्य करने का इरादा रखते हुए जारी नहीं किया गया है, बल्कि धारा 5 और उसके तहत 9 जून के आदेश जीएसआर 800 द्वारा सौंपे गए प्रतिनिधिमंडल के तहत राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। 1978. मामले के इस पहलू की सराहना करने के लिए दोनों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है: –

> **पाँच.** J5. प्रत्यायोजन शक्तियां : केन्द्रीय सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन अधिसूचनाएं बनाने या जारी करने की शक्ति, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित के द्वारा भी प्रयोग योग्य होगी:-
>
> **(अ)** ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ हो, या
>
> **(आ)** ऐसी राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकरण जो किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ हो,
>
> और दिशा में निर्दिष्ट किया जा सकता है, "।

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 1978

जी.एस.आर. 800.- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के आदेश की अनदेखी

स्वर्गीय कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) सं 2006 दिनांक 20 जून, 1972 के जीएसआर 316 (ई) के अनुसार, केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां उसकी उप-धारा (2) के खंड (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (एच), (आई), (ii) और (जे) में निर्दिष्ट मामलों के लिए आदेश देने के लिए आदेश दें, खाद्य पदार्थों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा शर्तों के अध्यधीन भी प्रयोग किया जा सकता है-

(एक) कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं;

(दो) कि उक्त खंड (क), (ग) या (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित आदेश देने से पहले या राज्य के बाहर के स्थानों पर खाद्य पदार्थों के वितरण या निपटान के संबंध में, या उक्त खंड (घ) के अधीन किसी खाद्य पदार्थों के परिवहन के विनियमन के संबंध में, राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व सहमति भी प्राप्त करेगी; और

(तीन) कि उक्त खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित आदेश देने में राज्य सरकार केवल सरकार के एक अधिकारी को प्राधिकृत करेगी।

अब, उपर्युक्त आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार को जो कुछ स्पष्ट रूप से प्रत्यायोजित किया गया है, वह केवल धारा ^ के खंड (ए),

(बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (एच), (आई), (ii) और (जे) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामले के लिए प्रावधान करने के लिए आदेश बनाना है। शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन नहीं है? धारा 3(1) के तहत केंद्र सरकार। इसलिए, राज्य सरकार या उसके मंत्री, निदेशक, धारा 3(1), यदि कोई हों, के अधीन केन्द्र सरकार में निहित शक्तियों की पूर्ण ाधिक और व्यापकता को अपने अधीन नहीं कर सकते हैं। समान रूप से, यह उजागर करने योग्य है

(जो बाद में एक अन्य संदर्भ में अधिक प्रासंगिक होगा) कि प्रतिनिधिमंडल स्पष्ट रूप से राज्य सरकार और उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण के पक्ष में है। न ही राज्य सरकार को दूरस्थ प्रभाव से भी निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है; इस स्पष्ट कारणों से भी, इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों की व्यापकता का कोई भी कथित सहारा राज्य सरकार द्वारा या निदेशक द्वारा पूरी तरह से अनुचित और अनुचित होगा।

(72) उपरोक्त कानूनी प्रस्ताव स्पष्ट प्रतीत होता है, लेकिन यदि इसके लिए प्राधिकरण की आवश्यकता थी, तो यह ***बिजॉय कुमार राउट्रल और अन्य*** **बनाम** ***उड़ीसा राज्य*** **और अन्य** ***राज्य*** **1976 उड़ीसा 138** मामले *में डिवीजन बेंच के निम्नलिखित शब्दों में उपलब्ध है। जहां इसी तरह के विवाद को खारिज कर दिया गया था: –*

> "उपरोक्त अधिसूचना के तहत राज्य सरकार को जो प्रत्यायोजित किया गया है, इसलिए, धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार की शक्ति है कि वह (जी) को छोड़कर खंड (ए) से (जे) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में आदेश दे सकती है। प्रतिनिधि के रूप में, राज्य सरकार उप-धारा (1) की व्यापक शक्तियों पर वापस आने की हकदार नहीं है और उसे प्रत्यायोजन के क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से राज्य को कोई फायदा नहीं है और जब तक आदेश प्रतिनिधिमंडल के दायरे में नहीं होता, तब तक इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए बेंच ने **सुजान** ***सिंह*** **बनाम** ***हरियाणा राज्य*** **1968 पीबी और हरियाणा 363, राज्य बनाम** ***सूरजभान*** **एआईआर 1972 सभी 401और** ***टी-एम प्रसाद*** **बनाम** ***राज्य*** **1972 पटना 250**

पर भरोसा किया था ,

(73) सिद्धांत और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों दोनों के आधार पर पूर्वगामी चर्चा के प्रकाश में। मैं यह कहूंगा कि अधिनियम की धारा 3(2)(ग) के अधीन निर्धारित संपूर्ण वस्तु का सामान्य नियंत्रण मूल्य अलग है और इससे अलग है।

अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार देय अनिवार्य क्रय मूल्य।

(74) पूर्वोक्त दृष्टिकोण को बाध्यकारी और प्रेरक उदाहरण से निर्णायक समर्थन प्राप्त होता है। श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में, मुख्य न्यायाधीश रे ने अधिनियम की धारा 3 के तहत सभी प्रासंगिक प्रावधानों का विज्ञापन करने के बाद निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला: –

> एक तरफ उप-धारा (3) (3-ए) और दूसरी तरफ उप-धारा (3 बी) और (3 सी) के बीच का अंतर ये हैं। उप-धारा (3) और (3-ए) अधिसूचना की तारीख से पहले तीन महीनों के दौरान इलाके में प्रचलित बाजार दर दोनों के अनुरूप या नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में या नियंत्रित मूल्य के संदर्भ में समझौते द्वारा मूल्य निर्धारित करने की बात करती है। उप-धारा (3बी) या तो नियंत्रित मूल्य की बात करती है या जहां ऐसी कोई कीमत तय नहीं की जाती है, उस क्षेत्र में फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान प्रचलित या प्रचलित मूल्य की बात की जाती है, जिस पर आदेश लागू होता है। उप-धारा (3 सी) में जो चीनी मूल्य से संबंधित है, की गणना गन्ने के न्यूनतम मूल्य, चीनी की विनिर्माण लागत, शुल्क या कर, और उचित रिटर्न के संदर्भ में की जानी है और विभिन्न क्षेत्रों या कारखानों या विभिन्न प्रकार की चीनी के लिए अलग-अलग कीमतें प्रदान की जा सकती हैं।

(बीस) "75. *इसलिए धारा 3(1) के तहत धारा 3(2)(सी) के* तहत निर्धारित नियंत्रित *मूल्य उप-धाराओं (3 ए), (3 बी) और (3 सी) के तहत मूल्य से अलग है,* मैं इस विचार का इच्छुक हूं कि पैराग्राफ 75 में श्रेणीबद्ध निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इस बिंदु पर निर्णायक है *और* हमारे लिए बाध्यकारी है। उपर्युक्त के अलावा, यह अपील करेगा कि इस बिंदु पर एक समान रूप से अटूट मिसाल है कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत सामान्य नियंत्रण मूल्य कुछ अलग है और अधिनियम की धारा 3 की उप-धाराओं (3), (3-ए), (3-बी) और (3-सी) के तहत निर्धारित और देय है। ***मेसर्स भगवान सिंह और अन्य*** **बनाम** ***पंजाब राज्य और अन्य*** **1975 पी.एल.आर.**

मामले *में* पंजाब गेहूं (लेवी) खरीद आदेश के खंड 4 की वैधता को आदेश में ही गेहूं के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मनमाने ढंग से 105 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित करने से हटा दिया गया था।

इसे अधिनियम की धारा 3 (3-ख) के दायरे से बाहर माना जाता है क्योंकि इसका निर्धारण उसके अनुरूप नहीं किया गया था। इसी तरह का एक तर्क कि यह स्वयं नियंत्रण मूल्य था, को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया था: –

> "श्री वासु का तीसरा तर्क कि लेवी आदेश के खंड 4 में उल्लिखित मूल्य वास्तव में वीअधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रित मूल्य था और लाइसेंस प्राप्त डीलरों को धारा 3 की उप-धारा (3-बी) (आई) के तहत इस मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए कहा जा सकता है, मेरी राय में निराशा का तर्क है। क्योंकि यह भेद की दृष्टि खो देता है *धारा के तहत निर्धारित नियंत्रित मूल्य के बीच* 3 (2) (सी) *और स्टॉक में किसी भी आवश्यक वस्तु को रखने वाले व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली कीमत जिसे खंड के संदर्भ में स्टॉक के पूरे या एक विशिष्ट हिस्से को बेचने की आवश्यकता होती है।* (च) धारा 3 की उपधारा (2) से प्रारंभ करते हुए, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) से प्रारंभ करते हुए, उन सभी उप-धाराओं में, जो धारा 3 (2) (एफ) के तहत किसी व्यक्ति को किसी भी आवश्यक वस्तु को बेचने के लिए आदेश पारित किए जाने पर मूल्य के निर्धारण से संबंधित हैं, नियंत्रित मूल्य का संदर्भ उस मूल्य से भिन्न होता है जो उस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है जिससे स्टॉक है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित। ऐसे मामले में भुगतान की जाने वाली कीमत नियंत्रित मूल्य के समान हो सकती है या नियंत्रित मूल्य से संबंधित हो सकती है, लेकिन ये प्रावधान स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3), (3-ए), (3-बी) या (सी) के तहत निर्धारित मूल्य से स्वतंत्र एक नियंत्रित मूल्य के अस्तित्व की परिकल्पना करते हैं। धारा 3 (2) (एफ) के तहत एक आदेश पारित होने पर नियंत्रित मूल्य मूल्य तय करने का आधार हो सकता है, *लेकिन यह तर्क देने के लिए कोई जगह नहीं है कि जिस कीमत पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को स्टॉक बेचने की आवश्यकता कर सकती है, वह धारा के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित किए बिना नियंत्रित मूल्य होगा।* 3(2) (ग) *वही* एक्ट करें." ..... ".

अब **केबी जिनराजा होड्डा और अन्य** *बनाम उच्च न्यायालयों में आते* **हैं।** *मुख्य सचिव, विधान सौध द्वारा मैसूर राज्य बेन गलोर और अन्य* **ए.आई.आर. 1971** मैसूर 12 *उच्च न्यायालयों में आते* हैं।

नियंत्रण द्वारा मूल्य का एक समान निर्धारण।

मैसूर धान खरीद (लेवी) आदेश, 1966 में आदेश को अधिनियम की धारा 3 (3-बी) का उल्लंघन करने वाला मानते हुए रद्द कर दिया गया था। उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए समान तर्क को विशेष रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया था: –

> " राज्य के वकील श्री पुट्टास्वामी ने प्रस्तुत किया कि आदेश की अनुसूची II में निर्धारित मूल्य ही नियंत्रित मूल्य था। हम इस निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हैं। नियंत्रित मूल्य में अनिवार्य रूप से राज्य के उद्देश्य को अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का संदर्भ दिया गया है, जिसके बाद उत्पादक या डीलर द्वारा कानूनी रूप से बिक्री नहीं की जा सकती है। अनुसूची-II के अंतर्गत निर्धारित मूल्य ऐसी कीमत नहीं है। यह सर्वविदित है, और इस बात पर राज्य द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है कि धान उत्पादकों और डीलरों दोनों द्वारा खुले बाजार में धान की बिक्री किसानों की तुलना में बहुत अधिक मूल्य पर की जाती है। अनुसूची में उल्लिखित मूल्य। हम *इसलिए, इस मूल्य को नियंत्रित मूल्य नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि उप-धारा के खंड (i) द्वारा विचार किया गया है।* (3-बी) *अनुभाग की संख्या।* 3 *अधिनियम के बारे में।* लेवी आदेश के शब्द हमारे दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि अनुसूची 2 में जो कीमत तय की गई है, वह 'खरीद मूल्य' है, न कि नियंत्रित मूल्य।

बिजॉय कुमार रौतराई और अन्य के मामले (सुप्रा) में, उड़ीसा धान खरीद (लेवी) आदेश, 1974 की वैधता को उसमें निर्धारित घोषित मूल्य के निर्धारण के आधार पर चुनौती दी गई थी। इसे अधिनियम की उप-धारा (3-ख) का उल्लंघन मानते हुए इसे निम्नानुसार देखा गया था -

> " इस मामले की और जांच किए बिना, यहां यह इंगित करना पर्याप्त है कि अधिनियम की योजना में एक मूल्य के भुगतान की आवश्यकता होती है जिसका उद्देश्य उचित समकक्ष होना है क्योंकि अधिनियम की धारा 3 (3-बी) में दर्शाया गया तरीका उस

तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य का भुगतान करना है जब बिक्री के लिए निर्देश दिया गया है या वह मूल्य जो फसल के बाद की अवधि में प्रबल होने की संभावना है। यदि जो पेशकश की जाती है वह अधिनियम की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, तो एक वैधानिक उल्लंघन होगा और पर्याप्त अपर्याप्त मूल्य पर बेचने की आवश्यकता लागू करने योग्य नहीं होगी। जैसा कि अधिनियम का इरादा नहीं है

आदेश में किसी भी प्रकार के स्वामित्व वाले उपाय के लिए अनिवार्य रूप से ऐसे उद्देश्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है। .....,"

और फिर से।

उन्होंने कहा, 'हमने पहले ही वास्तविक प्रचलित मूल्य या कीमत के बीच भारी अंतर को नोट कर लिया है, जो एक तरफ फसल कटाई के बाद की अवधि में होने की संभावना थी और दूसरी तरफ घोषित मूल्य। हमारे अनुसार, अधिनियम की धारा 3 (3-बी) (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह की कीमत तय करने का संसद का इरादा नहीं हो सकता था। *इसलिए, अधिनियम के संदर्भ में नहीं बल्कि एक कीमत पर बेचने का निर्देश एक उल्लंघन है और प्रतिनिधिमंडल के अधिकार से परे है।*

इसी आशय के लिए मैसर्स सीताराम**, ज्वाला प्रसाद और अन्य** ***बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** **ए.आई.आर. 1975 All. 272.** *के मामले में खंडपीठ की निम्नलिखित टिप्पणियां हैं । उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (22) (जिसके लिए दूसरे प्रश्न पर विस्तृत संदर्भ आवश्यक होगा) :-

"* * *. खंड (i) द्वारा परिकल्पित नियंत्रित मूल्य,

इसलिए, यह या तो खाद्यान्न के ग्रेड अथवा उसकी किस्म के संदर्भ में होना चाहिए। *यदि सरकार इस मामले की तरह यह निदेश जारी करती है कि उसे* 50 *प्रतिशत खाद्यान्न बेचा जाना है तो उसे उपधारा (3-ख) के खंड (i) या खंड (ii) द्वारा यथा विचार किए गए मूल्य का विक्रेता को भुगतान करना होगा*। यह नहीं कह सकता है कि वह आदेश में जो भी मूल्य उसके द्वारा मांगे गए स्टॉक के संबंध में देय मूल्य के रूप में उल्लेख करना चुनता है, वह स्वचालित रूप से संबंधित खाद्यान्न के ग्रेड या किस्म का नियंत्रित मूल्य बन जाएगा, जैसा कि खंड द्वारा विचार किया गया है।

(i)"।

अंत में, **जो परेरा और अन्य** ***बनाम*** **भारत संघ और अन्य**

के हालिया फैसले में, डिवीजन बेंच ने इसी तरह कर्नाटक धान खरीद (लेवी) आदेश, 1960 में मूल्य के मनमाने निर्धारण को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3-बी) का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए खारिज कर दिया और कहा कि लेवी आदेश में निर्धारित मूल्य स्वचालित रूप से वस्तु का नियंत्रित मूल्य नहीं बन सकता है।

(75) श्री वेंकटेश्वर राइस मिल और अन्य पर उनकी निर्भरता के प्रयास के *संबंध में 30 उत्तरदाताओं के लिए सीखने की सलाह देना आवश्यक हो जाता* है । *आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य* 15 *सुप्रा।* इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि नियंत्रण आदेश में मूल्य निर्धारण के मुद्दे को याचिकाकर्ताओं की ओर से दूर-दूर तक चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए, पीठ के समक्ष यह सवाल कभी नहीं उठाया गया था। वास्तव में यह सामान्य मामला था कि आदेश में अधिसूचित मूल्य कानून के प्रावधानों के अनुसार तय किया गया था। यह विद्वान मुख्य न्यायाधीश की निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट है:-

> "* * *। अत, अधिसूचित मूल्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाता है, अर्थात् यह देखने के लिए कि किसी भी डीलर या मिलर को उसके द्वारा उत्पादित या विनिर्मित चावल की कुल मात्रा का एक भाग बेचने से हानि न हो। *कीमत के निर्धारण पर हमारे सामने सवाल नहीं उठाया गया है।*

ऐसा होने पर, मैं यह देखने में विफल हूं कि यह मामला वर्तमान संदर्भ में उत्तरदाताओं के लिए कैसे सहायक होगा, जहां पूरी चुनौती नियंत्रण आदेश द्वारा मूल्य के मनमाने निर्धारण के लिए निर्देशित है। तथापि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि *वेंकटेश्वर राइस मिल के मामले में खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने* के बी जिनराजा हेगड़े और *मैसर्स मैसर्स के* मामले में मैसूर और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण से भिन्न *राय व्यक्त की।सीताराम प्रसाद का मामला* (सुप्रा 1), जिसके साथ मैं पहले ही अपनी सम्मानजनक सहमति व्यक्त कर चुका हूं। यदि *वेंकटेश्वर राइस मिल के* मामले में डिवीजन बेंच ने कानून के विपरीत कानून बनाने का इरादा किया है, तो मुझे ऊपर पहले से दर्ज कारणों को ध्यान में रखते हुए सम्मानपूर्वक अपनी असहमति दर्ज करनी चाहिए- प्रतिवादियों की ओर से रिलायंस को मैसर्स राजस्थान उच्च न्यायालय के असूचित निर्णय पर भी रखा गया था। ***चांद***

***बिहारी लाई* v. *भारत संघ* 1980 के सीडब्ल्यू 8 ने 14 मार्च, 1980 को फैसला सुनाया।** । धारा 3(3-ग) के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले चीनी नियंत्रण आदेश के संदर्भ में। हालांकि, उक्त निर्णय में निम्नलिखित निष्कर्ष टिप्पणियां ही झूठ को सीधे रुख की ओर ले जाती हैं (उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया): –

> पीठ ने कहा, 'निश्चित तौर पर खंड (एफ) के लिए मूल्य तय करने के उद्देश्य से, जिसमें लेवी भी शामिल है, आदेश को धारा 3 की उपधारा (3) को निर्दिष्ट करना होगा और प्रभावी करना होगा और यदि ऐसा नहीं है।

यदि केन्द्र सरकार धारा 3 की उपधारा (3) की अनदेखी करते हुए केवल मूल्य निर्धारण करके रोक देती है, तो एक नागरिक को यह शिकायत हो सकती है कि धारा 3 (3) का उल्लंघन किया गया है। इसलिए, धारा 3 (3) के साथ पढ़े गए उप-खंड (सी) में निश्चित रूप से केंद्र सरकार को उप-खंड 3 (3) के तहत निर्देश देने की आवश्यकता होगी, लेकिन उप-धारा (3) के मामले (ए) और (बी) लागू होने की स्थिति में उन निर्देशों का निश्चित रूप से नियंत्रित मूल्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।

वास्तव में उपरोक्त टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं और उनके मामले को बहुत आगे बढ़ाती हैं। फिर भी इस बात का कोई फायदा नहीं है कि उक्त निर्णय में कुछ अन्य टिप्पणियां, ^ यदि अलग से पढ़ा जाता है, तो ऐसा लगता है कि यह उस दृष्टिकोण के विपरीत है जिसकी मैंने सदस्यता ली है। मेरे कारणों को नए सिरे से सूचीबद्ध करना दोहराव होगा और जो पहले से ही ऊपर दर्ज हैं, मैं उनसे सम्मानपूर्वक असहमति व्यक्त करूंगा-

(छिहत्तर) पहले प्रश्न पर अपनी बात समाप्त करने के लिए, मैं दृष्टांत के भार, संगत सांविधिक उपबंधों और सिद्धांत रूप में इस बात पर दृढ़ विश्वास करता हूं कि अधिनियम की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत परिकल्पित संपूर्ण वस्तु का सामान्य नियंत्रण मूल्य उक्त धारा की उपधारा (3) के अनुसार देय अनिवार्य खरीद मूल्य से भिन्न एक श्रेणी और वस्तु है।

(सतहत्तर) अब एक बार जब उपरोक्त निष्कर्ष निकाल लिया गया है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दें कि क्या अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत परिकल्पित सामान्य नियंत्रण मूल्य एक निश्चित समान मूल्य है जिसके बाद पूरी आवश्यक वस्तु को खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है - इस पर पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। अनिवार्य रूप से किसी को पहले धारा 3 (2) (सी) और (एफ) के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की ओर मुड़ना चाहिए: –

(अ) 3(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, उसके अधीन किया गया आदेश उपबंध कर सकेगा-

मेसर्स हरि राम परस राम और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(जी. सी. मित्तल, जे.)

(ख) * * * * * *

(इ) उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए जिस पर किसी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है।

(ई) * * * * * *

(उ) * * * * * *

(ऊ) किसी भी आवश्यक वस्तु के स्टॉक में रखने वाले या उत्पादन में लगे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता के लिए, या खरीदने या बेचने के व्यवसाय में-

(अ) स्टॉक में रखी गई मात्रा का पूरा या निर्दिष्ट हिस्सा बेचना या उसके द्वारा उत्पादित या प्राप्त करना, या

(आ) किसी ऐसी वस्तु के मामले में, जिसका उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त किए जाने की संभावना है, उसके द्वारा उत्पादित या प्राप्त होने पर ऐसी वस्तु के पूरे या एक निर्दिष्ट हिस्से को बेचने के लिए,

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या एजेंट को या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

* जे * * * * * * * * "

अब अनुभाग का एक सादा पठन। 3 (2) (सी) से यह स्पष्ट होता है कि यह मुख्य रूप से और पूरी तरह से उस मूल्य के निर्धारण के लिए निर्देशित है जिस पर किसी भी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है। इसके प्रावधान सामान्य प्रकृति के हैं। यह स्पष्ट रूप से पूरी वस्तु के लिए एक निश्चित या अधिकतम मूल्य की कल्पना करता है, न कि उसके एक हिस्से या प्रतिशत

के लिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि जिस संदर्भ में, धारा 3 (2) (सी) निर्धारित की गई है, यह पूरी वस्तु के लिए एक नियंत्रण मूल्य की कल्पना करता है जो समान रूप से एक सीमा प्रदान करता है जिसके बाद उसे कानूनी रूप से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि आवश्यक वस्तुएं ऐसी चीजें नहीं हैं (उदाहरण के लिए खाद्यान्न के मामले में) जिनमें से प्रत्येक

अनाज जिसमें से या तो पहचान योग्य है या अलग-अलग है। यह निर्धारित करना कि किसी आवश्यक वस्तु का 30 प्रतिशत एक स्तर पर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए और शेष 70 प्रतिशत का मूल्य दूसरे स्तर पर रखा जाना चाहिए या उस मामले के लिए पूरी तरह से अनियमित छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसी समस्याएं पैदा होंगी जो समाधान से परे हैं। कोई भी आसानी से कल्पना नहीं कर सकता है कि विधायिका ने एक ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए नेतृत्व किया है जो एक आवश्यक वस्तु के विभिन्न प्रतिशत के लिए अलग-अलग नियंत्रण मूल्य निर्धारित करके स्पष्ट रूप से अतार्किक होगा। वर्तमान नियंत्रण आदेश अपने आप में एक उदाहरण है। उत्तरदाता-राज्य के रुख के आधार पर, ऐसा लगता है कि आवश्यक वस्तु के 30 प्रतिशत के लिए एक कीमत, अर्थात् 42 रुपये प्रति क्विंटल और शेष 70 प्रतिशत के लिए पूरी तरह से अलग कीमत, 120 रुपये प्रति क्विंटल तक हो सकती है - वास्तव में एक भी कीमत नहीं बल्कि बाकी के लिए कोई भी कीमत। नियंत्रण आदेश का खंड (3) केवल सभी डीलरों और चावल मिलों के मालिकों पर लागू होता है। उक्त खंड में विनिदष्ट चावल मिलों के डीलरों और मालिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के हाथों में चावल भूसी के स्टॉक के मामले में स्पष्ट रूप से कोई नियंत्रण मूल्य या तो आंशिक या कुल उत्पन्न नहीं होगा। इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी कि चावल की भूसी की एक ही वस्तु का डीलरों और मिल-मालिकों के मामले में 30 प्रतिशत वस्तु के लिए एक नियंत्रण मूल्य होगा और शेष 70 प्रतिशत के लिए एक और मूल्य उनके हाथों में होगा और बाकी के संबंध में कोई नियंत्रण मूल्य नहीं होगा। सबसे बड़े सम्मान के साथ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक नियंत्रित आवश्यक वस्तु की एक समान कीमत के रूप में कल्पना की जाने वाली चीजों का मजाक उड़ाएगा। उपरोक्त दृष्टिकोण तब मजबूत होता है जब खंड 3 (2) (सी) और 3 (2) (एफ) की तुलना की जाती है-

यह इस बात पर प्रकाश डालने योग्य है कि धारा 3 (2) (एफ) के खंड (ए) और (बी) में स्पष्ट शब्दों में एक आवश्यक वस्तु के पूरे या निर्दिष्ट हिस्से का उल्लेख है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां विधायिका धारा 3 (2) (एफ) के तहत किसी भी व्यक्ति से पूरे स्टॉक या उसके एक हिस्से को प्राप्त करने की शक्ति का इरादा रखती है, उसने विशेष रूप से ऐसा कहा है। दूसरी ओर धारा 3 (2) (सी) नियंत्रण मूल्य के बारे में पूरी वस्तु या उसके किसी निर्दिष्ट भाग के लिए बात नहीं करती है। इस अतिरिक्त कारण के लिए भी धारा 3 (2) (सी) को आवश्यक वस्तु के कुछ प्रतिशत या निर्दिष्ट भागों के नियंत्रण मूल्य के प्रावधान के रूप में मानना अनुचित होगा । जैसा कि अब क़ानून को कहा गया है, यह पूरे आवश्यक वस्तु के एक समान नियंत्रण मूल्य की कल्पना करता है जिस पर इसे खरीदा या बेचा जा सकता है, न कि इसके लिए आंशिक नियंत्रण मूल्य। पीठ ने कहा, 'अगर विधायिका इतनी सोच रखती तो वह कानून के तहत स्पष्ट रूप से ऐसी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं चुना।

इस संदर्भ में और अन्य प्रावधानों के विपरीत ऐसा करना जो स्पष्ट रूप से आवश्यक वस्तु के एक निर्दिष्ट हिस्से में व्यवहार करने का प्रावधान करते हैं।

(अठहत्तर) इस लेख में कहा गया है कि कौन सा लेख है; *मेसर्स सीताराम ज्वाला प्रसाद के मामले* (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले से स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई। i, वास्तव में यह मामला वर्तमान के साथ लगभग सभी चार पर प्रतीत होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मोटे खाद्यान्न (लेवी) आदेश (लेवी) आदेश (1974) में भी लाइसेंसधारी डीलरों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने स्टॉक में मोटे अनाज का 50 प्रतिशत आदेश/स्वयं में मनमाने ढंग से निर्धारित निर्धारित मूल्य पर वितरित करें। शेष 50 प्रतिशत को स्पष्ट रूप से नियंत्रण से मुक्त छोड़ दिया गया था और बाजार में तैर रहा था। प्रावधानों को निरस्त करते हुए और हमारे सामने उठाए गए एक समान तर्क को खारिज करते हुए, उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार देखा:

> "एडवोकेट-जनरल द्वारा यह आग्रह किया गया था कि चूंकि केवल 50 प्रतिशत मोटे खाद्यान्न ोें को राज्य सरकार को बेचने की आवश्यकता है, इसलिए डीलरों के लिए यह खुला है कि वे शेष 50 प्रतिशत खाद्यान्न किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं, जिसे वे पसंद करते हैं ताकि वे किसी भी नुकसान की भरपाई कर सकें जो उन्हें बेचे जा रहे 50 प्रतिशत खाद्यान्न के कारण हो सकता है। सरकार 74 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। उनके अनुसार, इस मामले को देखते हुए, एक ओर डीलरों को कोई सराहनीय हानि नहीं होगी और दूसरी ओर, उपभोक्ताओं को कम से कम 50 प्रतिशत खाद्यान्न तुलनात्मक रूप से बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होगा। आर्थिक समानता पर आधारित विद्वान महाधिवक्ता का यह तर्क हमारी राय में धारा 3 (3-बी) के खंड (आई) में उपयोग किए गए 'नियंत्रित मूल्य' शब्द के अर्थ की व्याख्या करने में हमारी मदद नहीं करता है। इसके अलावा, विधायिका ने निम्नलिखित के मामले में उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त किया है?धारा 3 (2) (सी) के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में धारा 3 (3-सी) को लागू करके और इसे अलग-अलग शब्दों में वितरित करने के लिए चीनी का स्टॉक आवश्यक है। विद्वान महाधिवक्ता ने जो आग्रह किया था, वह

विधायिका का वास्तविक इरादा था: वह उप-धारा (3-सी) के समान उप-धारा (3-बी) को लागू करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। तदनुसार, हमारी राय है कि भले ही राज्य सरकार के पास 50 प्रतिशत की आवश्यकता का पूरा अधिकार था।

आक्षेपित आदेश के अनुसार उसे बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के संबंध में देय मूल्य के रूप में 74 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करना उसके लिए खुला नहीं था। यदि राज्य सरकार आदेश द्वारा यथा विचार किए गए 50 प्रतिशत खाद्यान्नों की खरीद करना चाहती है, तो उसे उपधारा (3-ख) द्वारा यथा विचारित मूल्य का भुगतान करना होगा।

इसके बाद जो परेरा और अन्य मामले *में डिवीजन बेंच द्वारा एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया है* । *भारत संघ* (14 सुप्रा) निम्नलिखित शब्दों में:-

"इन टिप्पणियों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि नियंत्रित मूल्य एक कीमत है जिसे उत्पादक, उपभोक्ता और आम जनता के हित जैसी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह उत्पादक के दृष्टिकोण से और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी उचित होना चाहिए। इसे इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि उत्पादक नष्ट न हो और उपभोक्ता अपंग न हो। *एक बार तय की गई नियंत्रित कीमत सभी बिक्री और खरीद पर लागू होनी चाहिए, यह किसी विशेष प्रकार के लेनदेन की कीमत को नियंत्रित करने का इरादा नहीं होना चाहिए* । लेवी आदेश में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या याचिकाकर्ताओं को भुगतान की गई कीमत स्पष्ट रूप से विशेष प्रकार (लेनदेन, यानी, उत्पादक द्वारा राज्य को अनिवार्य बिक्री) को नियंत्रित करने का इरादा था। हमारी राय में इस तरह की कीमत स्वचालित रूप से नियंत्रित मूल्य नहीं बन सकती है जैसा कि राज्य सरकार के लिए तर्क दिया गया है।

(उन्नासी) सिद्धांत और दृष्टांत दोनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि धारा 3(2)(ग) में जिस आवश्यक वस्तु की परिकल्पना की गई है, वह उस संपूर्ण आवश्यक वस्तु के लिए एक समान और निश्चित

अधिकतम मूल्य है, जिस पर इसे खरीदा या बेचा जा सकता है, न कि उसके कुछ भागों और प्रतिशतों के लिए। इस प्रकार प्रारंभ में ही पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हां में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(अस्सी) एक बार जब मामले में दो मुख्य प्रश्नों का उत्तर उपरोक्त शर्तों में दिया गया है, तो उनके आवेदन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि नियंत्रण आदेश का खंड 4 कानून में स्पष्ट रूप से अस्थिर है-

यह मुद्दा वास्तव में प्रतिवादी राज्य की दलीलों पर ही सीमित हो जाता है। इस बात पर शायद ही कोई विवाद है कि खंड 3 और 4 धारा 3 (2) (एफ) से अपनी मंजूरी लेते हैं और अनिवार्य रूप से, धारा 3 (3) सीधे स्थिति की ओर आकर्षित होगी। व्यावहारिक रूप से, इसलिए, यह सवाल इस पर उठता है - क्या नियंत्रण आदेश द्वारा 42 रुपये की कीमत का निर्धारण कुछ ऐसा है जो अधिनियम की धारा 3 (3) के खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत इस संबंध में बारीकी से सीमित शक्ति द्वारा आवश्यक है। ^यह आम 'रुख है कि चावल की भूसी की पूरी आवश्यक वस्तु के लिए कोई समान निश्चित मूल्य प्रख्यापित नहीं किया गया है। ऐसा होने पर, खंड (ए) और (बी) जो पहले से ही एक नियंत्रित मूल्य के अस्तित्व को सीधे तौर पर मानते हैं, स्पष्ट रूप से कोई लागू नहीं हो सकते हैं। इसलिए, खंड (सी) केवल लागू होगा जो यह अधिदेशित करता है कि बिक्री की तारीख को इलाके में प्रचलित बाजार दर पर गणना की गई कीमत अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) के तहत अधिग्रहण के लिए देय होगी। यह लगभग स्वीकार किया जाता है कि यदि बिक्री चावल की भूसी से तेल निकालने के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए की जाती है तो ऐसी कीमत 120 रुपये प्रति क्विंटल तक हो सकती है और किसी भी मामले में राज्य ने स्वयं हलफनामे के अनुलग्नक आर. 2 और आर. 3 पर भरोसा किया है जो दर्शाता है कि बाजार मूल्य 70 रुपये से 80 रुपये प्रति क्विंटल के बीच था। नतीजतन, उत्तरदाताओं का अपना रुख यह है कि भुगतान की गई कीमत अधिनियम की धारा 3 (3) (सी) के अनुसार तय नहीं की जा रही है। वास्तव में बड़ा दावा यह है कि नियंत्रण आदेश द्वारा निर्धारित 42 रुपये की मनमानी कीमत स्वयं वस्तु का नियंत्रण मूल्य बन जाएगी।

(इक्यासी) इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहां लागू नियंत्रण आदेश सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी करना एक अधीनस्थ कानून

है। यह अनिवार्य रूप से मूल क़ानून द्वारा निर्धारित जनादेश और सीमा के अनुरूप होना चाहिए। जिस क्षण यह उसी से परे यात्रा करता है, इसे उस स्रोत के उल्लंघन के रूप में मारा जाना चाहिए जहां से यह बहता है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि धारा 3 (3) के खंड (ए), (बी) और (सी) के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन करते हुए 42 रुपये पर मूल्य का निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के *दायरे से बाहर* है और इसे आवश्यक रूप से निरस्त किया जाना चाहिए।

(बयासी) उपर्युक्त घातक दुर्बलता के अलावा, खंड 4 की अकिलिस हील- एक अनियंत्रित और असंतुलित शक्ति का निहित है।

निदेशक बिना किसी सीमा के समय-समय पर चावल की भूसी की कीमत निर्धारित करेगा। यदि प्रतिवादी-राज्य के इस रुख को स्वीकार किया जाए कि नियंत्रण आदेश द्वारा मूल्य का मनमाना निर्धारण स्वयं नियंत्रण मूल्य है, तो यह उन शर्तों के अनुसार होगा जो निदेशक समय-समय पर जारी रख सकते हैं। वास्तव में खंड 4 की भाषा इंगित करती है कि संक्षेप में यह निदेशक है जो मूल्य निर्धारित करेगा और केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में वर्तमान के लिए बिक्री मूल्य 42 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कंटेनरों और करों की लागत से अलग है। अब कोई भी आसानी से कल्पना नहीं कर सकता है कि पूरे राज्य में धारा 3 (2) (सी) के तहत एक आवश्यक वस्तु का नियंत्रण मूल्य निदेशक की सनक पर छोड़ दिया जा सकता है कि किसी भी समय वह धारा 3 (2) (सी) या अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों के कम से कम संदर्भ के बिना इसे तय करने का विकल्प चुन सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 के आदेश जीएसआर 800 (पैराग्राफ 20 में पूर्व में उद्धृत) के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि यह केवल राज्य सरकार के पक्ष में किया गया है न कि उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी के पक्ष में। न तो धारा 5 और न ही प्रत्यायोजन करने वाला आदेश राज्य सरकार को अपनी शक्तियों को निदेशक को प्रत्यायोजित करने का अधिकार देता है। सामान्य सिद्धांतों पर यह अच्छी तरह से तय है कि एक प्रतिनिधि स्वयं आगे प्रतिनिधि नहीं दे सकता है जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो या जहां इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को कानून की भाषा से ही समझा जा सकता है। यहां इन दोनों चीजों की पूरी तरह से कमी है। इसलिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो खंड 4 द्वारा निदेशक में मूल्य के महत्वपूर्ण मुद्दे को निर्धारित करने की शक्ति निहित करना कानून द्वारा पूरी तरह से अनुचित और अनधिकृत प्रतीत होता है। वास्तव में, इस असाध्य स्थिति का सामना करने वाले प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आधे-अधूरे मन से स्वीकार किया कि कम से कम निदेशक में शक्ति निहित करने को राज्य के पक्ष में किए गए सख्त प्रतिनिधिमंडल द्वारा आसानी से मान्य नहीं किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, इसलिए, किसी भी समय मूल्य तय करने की असीमित शक्ति वाले निदेशक के कपड़े स्पष्ट रूप से अवैध हैं और उन्हें आवश्यक रूप से हटा दिया जाना चाहिए।

(तिरासी) अब एक बार जब उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंच गया है तो खंड

4 में समान रूप से घातक और अतिरिक्त दुर्बलता जुड़ गई है। इसे पढ़ने से पता चलेगा कि यह एक अविभाज्य और अभिन्न संपूर्ण है। वास्तव में इसका मूल समय-समय पर निदेशक को चावल की भूसी का बिक्री मूल्य निर्धारित करने की शक्ति निहित है। यह केवल एक अस्थायी और व्यावहारिक उपाय के रूप में है कि चावल की भूसी का वर्तमान बिक्री मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नियंत्रण आदेश कोई अस्थायी उपाय नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तब तक अपने सांविधिक बल को बनाए रखना है जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा नहीं सोचती है। नतीजतन, एक बार जब यह माना जाता है कि निदेशक में मूल्य निर्धारित करने की शक्ति निहित है, तो अधिनियम, खंड 4 को समग्र रूप से ऐसा माना जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, निदेशक में मूल्य निर्धारित करने की शक्ति का निहित होना सचमुच और आलंकारिक रूप से खंड 4 की आवश्यकता है और एक बार जब इसे पूरा कर दिया जाता है, तो इसे बिना सिर वाले शरीर की तरह जमीन पर गिरना चाहिए। इस अतिरिक्त आधार पर खंड 4 को मुख्य क़ानून के एक अंग के रूप में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(चौरासी) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्षता के साथ, एक अन्य पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है और इससे भी अधिक अनुमोदन की कुछ पारित टिप्पणियों के कारण जो मेरे विद्वान भाई शर्मा, जे. शर्मा की कलम से निकली हैं। प्रतिवादियों की ओर से आधे-अधूरे मन से तर्क दिया गया था कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) अधिकारियों को आवश्यक वस्तु के लिए कोई भी नियंत्रण मूल्य तय करने के लिए व्यापक शक्तियां देती है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि पूरी वस्तु के लिए 42 रुपये प्रति क्विंटल या उससे भी कम है। यह तर्क दिया गया कि यह याचिकाकर्ताओं के लिए और भी अधिक हानिकारक होगा क्योंकि वे नियंत्रण आदेश के तहत प्रदान किए गए केवल 30 प्रतिशत के बजाय उस कम कीमत (चाहे 42 रुपये या 30 रुपये प्रति क्विंटल) पर पूरे चावल की भूसी बेचने के लिए बाध्य होंगे । यह तर्क इस धारणा के भ्रम से ग्रस्त है कि धारा 3 (2) (सी) के तहत नियंत्रण मूल्य निर्धारित करने की शक्ति पूरी तरह से मनमानी या अनिर्देशित है, जो वास्तव में ऐसा नहीं है। निस्संदेह, क़ानून अधिकारियों में पूरी वस्तु के नियंत्रण मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक और प्रभावी शक्ति प्रदान करता है, लेकिन, इससे यह नहीं होता है कि इसका उपयोग दंड मुक्ति के साथ मनमाने ढंग से किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 3(2)(ग) के अधीन ऐसे मूल्य के निर्धारण को इसकी तर्कसंगतता के आधार पर

किए गए परीक्षणों को पूरा करना होगा। इस मामले को सैद्धांतिक रूप से विस्तृत करना अनावश्यक है क्योंकि *मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड के मामले* (सुप्रा) में अंतिम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां इस मुद्दे को पूरी तरह से कवर करती हैं:-

> "कीमतों के नियंत्रण ने कमोडिटी की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने या उचित कीमतों पर समान वितरण और उपलब्धता हासिल करने पर प्रभाव डाला हो सकता है। नियंत्रित मूल्य को आपूर्ति में इस संतुलन को बनाए रखना होगा।
>
> और वस्तु की मांग। उत्पादन की लागत, वस्तु के उत्पादक को उचित वापसी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्पादक को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। उचित मूल्य न केवल उपभोक्ता के दृष्टिकोण से बल्कि उत्पादक के दृष्टिकोण से भी उचित होना चाहिए।

(पचासी) उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत पूरी वस्तु के लिए एक समान नियंत्रण मूल्य का निर्धारण भी तर्कसंगत की कसौटी पर खरा उतरना है और इसलिए, कानून में चुनौती योग्य है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह रुख कभी नहीं था कि अधिनियम की धारा 3 (2) (सी) के तहत मूल्य का निर्धारण चुनौती से परे है या यदि यह मनमाने ढंग से किया जाता है, तो वह इस तरह की कीमत के निर्धारण पर सवाल नहीं उठाएगा। उनका पूरा रुख और यह सही था कि नियंत्रण आदेश के तहत धारा 3(2) (सी) और नियंत्रण आदेश के तहत पूरी वस्तु के लिए कोई समान नियंत्रण मूल्य (जिसे अकेले कानून में नियंत्रण मूल्य कहा जा सकता है) निर्धारित नहीं किया गया है, जिसमें केवल एक अनिवार्य बिक्री मूल्य की परिकल्पना की गई है। इसलिए, उन्होंने इस अनिवार्य खरीद मूल्य को धारा 3 (3) (ए), (बी) और (सी) का उल्लंघन बताते हुए अपने रुख को सीमित रखा। वास्तव में, यह उनका रुख नहीं था और संभवतः नहीं हो सकता था कि धारा 3 (2) (सी) के तहत कोई भी और हर नियंत्रण मूल्य चाहे वह मनमाने ढंग से तय किया गया हो, अजेय है या यह हमेशा उन्हें स्वीकार्य होगा।

(छियासी) उपर्युक्त विस्तृत चर्चा के आलोक में, मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि लागू नियंत्रण आदेश का खंड 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है और इसलिए अमान्य है। हमारे

1

सामने यह भी तर्क नहीं दिया गया था कि खंड 4 लागू किए गए नियंत्रण आदेश के बाकी हिस्सों से अलग है और यह अभी भी क्षेत्र को समान रख सकता है । वास्तव में यह खंड एक महत्वपूर्ण खंड है जिसके बिना नियंत्रण आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। यह अकल्पनीय होगा कि खंड 3 के अंतर्गत चावल की भूसी की कोई भी अनिवार्य बिक्री उसके लिए देय मूल्य की मात्रा के लिए किसी भी प्रावधान के बिना संभव होगी। इसलिए, इस घातक दुर्बलता के कारण पूरे नियंत्रण आदेश को गिरा दिया जाना चाहिए और इसे रद्द किया जाता है।

(सत्तासी) इसलिए रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है। यहां उठने वाले कानून के जटिल सवालों को देखते हुए पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

तेजा सिंह *बनाम* केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य (पी. सी. जैन, जे.

** न्यायालय का आदेश*

(अठ्ठासी) सर्वसम्मति से यह कहा जाता है कि हरियाणा चावल भूसी (वितरण और मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1981 के खंड 4 का पहला भाग, जो निम्नलिखित शर्तों में है, को निरस्त किया जाता है: -

> "खंड 3 में उल्लिखित परमिट के खिलाफ बेचे गए चावल की भूसी का अधिकतम बिक्री मूल्य समय-समय पर निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(नवासी) बहुमत से कहा गया है कि खंड 4 का शेष भाग और साथ ही समग्र रूप से नियंत्रण आदेश वैध और संवैधानिक है। लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना रिट याचिका खारिज की जाती है।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

एम. आर. शर्मा, जे.

गोकल चंद मित्तल, जे।

एच.एस.बी.

पूर्ण बेंच

<u>अस्वीकरण :</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा